उत्तर प्रदेश पुलिस

आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती / मृतक आश्रित)

आधारभूत प्रशिक्षण, पाठयक्रम

समयावधि- 09 माह

डा0 भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

प्रशान्त कुमार
आई0पी0एस0
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

<u>संदेश</u>

मैं उत्तर–प्रदेश पुलिस, जो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, में आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती/मृतक आश्रित) के नवीनतम सदस्यों के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और कहना चाहूँगा कि पुलिस का मुख्य कर्तव्य अपराध को रोकना और कानून–व्यवस्था बनाए रखना है। हम बिना किसी भय या पक्षपात के कानून को बनाये रखने और हर नागरिक को बिना किसी भेद–भाव के सुरक्षा प्रदान करने के लिये कृत–संकल्प हैं। इस कर्तव्य को सम्पादित करने के लिये पुलिस बल का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रत्येक सदस्य अनुशासन, टीम वर्क, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर विशेष बल दे और उत्तर–प्रदेश पुलिस का एक आदर्श सदस्य बने। आपकी भूमिका आपके सहयोगियों एवं अधीनस्थों के लिये प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं और वे आपके मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिये आवश्यक हैं कि आप अपने प्रशिक्षण काल की महत्ता को समझें और पूर्ण निष्ठा के साथ इसको पूर्ण करें।

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

तिलोत्तमा वर्मा,
आई0पी0एस0
पुलिस महानिदेशक
Director General of Police

दूरभाष : कार्यालय : Off 2390252
Phone : फैक्स : Fax. 2724034
पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश
टॉवर संख्या–1, प्रथम तल, पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, शहीदपथ, लखनऊ–226002
Police Training Directorate, U.P.
Tower No.1, 1st Floor, Police Headquarters,
Gomti Nagar Vistar, Shaheed Path, Lucknow-226002

संदेश

मुझे अवगत कराते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, कि 03 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् वर्ष–2025 में प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा वर्तमान परिस्थितियों एवं 03 नये कानूनों के दृष्टिगत आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती/मृतक आश्रित) के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुये अद्यावधिक किया गया है।

इस पाठ्यक्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं को शिष्ट–विनम्र–जनोन्मुख एवं सेवोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य एवं जन सहमति एवं सहभागिता के साथ पुलिस कार्य करने का कौशल एवं मनोवृत्ति विकसित करने, उन्हे आत्मसम्मानी बनाने, उनके अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति आदर जागृत कराने पर बल दिया गया है।

आरक्षी नागरिक पुलिस का उत्तर–प्रदेश पुलिस में अग्रणी भूमिका निभाने एवं अपने सहयोगी सदस्यों को प्रेरित करने वाला होता हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस पद पर नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थीगण पूर्ण मनोयोग के साथ अपना प्रशिक्षण सम्पन्न करेंगे एवं कालान्तर में सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं साहस के साथ पदीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुये पुलिस विभाग का गौरव बनाये रखेंगे।

(तिलोत्तमा वर्मा)
पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं0
	प्रस्तावना	1
	सामान्य निर्देश	2
1.	संस्था में आगमन	2
2.	आवास	4
3.	भोजन व्यवस्था	4
4.	परिधान	4
5.	विशेष सेवाओं के लिए कटौती	5
6.	दिवसाधिकारी	5
7.	रात्रि गणना	5
8.	चिकित्सा सुविधा	6
9.	मनोरंजन	6
10.	खेल-कूद	6
11.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	6
12.	पुस्तकालय	7
13.	सूचना पट्ट	7
14.	सुझाव / शिकायती पत्र पेटिका	7
15.	मासिक सम्मेलन	7
16.	श्रमदान एवं वृक्षारोपण	7
17.	अवकाश एवं अनुपस्थिति	8
18.	महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण	10
19.	प्रशिक्षुओं के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश	10
20.	प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्था में अपचार	12
21.	संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्रावधान	12
22.	प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण	14
23.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता	15
24.	व्यवहारिक प्रशिक्षण	15
25.	प्रशिक्षण के दौरान शान्ति-व्यवस्था ड्यूटी	16
26.	प्रशिक्षकों के लिए निर्देश	16
27.	परीक्षा प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	20
28.	पुरस्कार	22
29.	अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की सूची	22
30.	फीडबैक	22
31.	प्रशिक्षण की रूपरेखा	23
32.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांश	23
33.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कालांशों एवं अंको की गणना	24
34.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों, कालांशों एवं अंकों का विवरण	25
35.	दैनिक समय सारिणी	28
36.	जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण	29
37.	पाठ्यक्रम में संशोधन	31
	परिशिष्ट - 1 प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु	32
	परिशिष्ट - 2 आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु	34
	परिशिष्ट - 3 प्रशिक्षकगण का फीडबैक हेतु प्रारूप	91
	परिशिष्ट - 4 संस्था का फीडबैक हेतु प्रारूप	92

प्रस्तावना

आरक्षी का पद पुलिस विभाग में ऑपरेशन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस स्तर के अधिकारियों की शतप्रतिशत नियुक्ति सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित द्वारा होती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) के प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का है। **इस प्रशिक्षण में प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि 01 माह, आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 09 माह व जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि 03 माह है।**

प्रारम्भिक प्रशिक्षण (Joining Training Centre- जे0टी0सी0)

(i) यहां **'प्रशिक्षण संस्था'** का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थान व जनपदीय पुलिस लाइन/ पीएसी वाहिनी पर स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र से है।

(ii) यहां **'JTC प्रभारी '** का तात्पर्य जनपदीय पुलिस प्रमुख से है।

(iii) आरक्षी पद पर भर्ती के पश्चात प्रशिक्षु आरक्षियों को विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में (30 दिवस से अनधिक) प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(iv) प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा एक प्रशिक्षण रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा, जिसमें अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण तथा बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के विषय में लिखा जाएगा।

(v) सम्बन्धित जनपद आर0टी0सी0 पुलिस लाइन से प्रशिक्षुओं को वर्दी की वे वस्तुयें उपलब्ध करायेंगें, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी/ सामग्री स्थानीय स्तर से क्रय करके उपलब्ध करायी जाती है, वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिये जाएं।

(vi) जनपद पुलिस प्रभारी सभी प्रशिक्षु आरक्षियों की चरित्र पंजिका तैयार करायेंगें।

(vii) जनपद पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर, प्रशिक्षु आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेंगें। **प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों को परिचय पत्र वितरित किये जायेंगें।**

(viii) जनपद पुलिस प्रभारी प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि में कम से कम एक बार इन प्रशिक्षु आरक्षियों से साक्षात्कार करेंगें।

(ix) **प्रारम्भिक प्रशिक्षण में किसी भी प्रशिक्षु की 05 दिवस से अधिक अनुपस्थिति होने पर उसे प्रशिक्षण से विरत किया जाएगा एवं उसे अगले प्रशिक्षण सत्र से पुनः पूर्ण प्रशिक्षण (प्रारम्भिक प्रशिक्षण) प्राप्त करना होगा।**

आधारभूत प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान/ केन्द्र)

(i) यहाँ '**संस्था प्रमुख**' का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपदीय आरटीसी के लिए जनपद में नियुक्त जनपद पुलिस प्रभारी तथा पीएसी आरटीसी के लिए सम्बन्धित वाहिनी के प्रभारी सेनानायक से है।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षु के प्रगति पत्रों का भली-भॉति अवलोकन किया जाएगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो सम्बन्धित जनपद प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं की चरित्र पंजिकाएँ उनके जनपद से प्राप्त करके उनका परीक्षण कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति पाई जाए, तो उसका समाधान करा लिया जाए।

सामान्य निर्देश

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रचलित **उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015** एवं अन्य सुसंगत नियमों के अनुसार कराया जाएगा।

1. संस्था में आगमन

(i) प्रशिक्षण संस्था में आगमन के दिनांक से प्रशिक्षु को जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को '**प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस**' के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

(ii) आरक्षी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्था में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, इसमें समुचित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।

(iii) स्वागत कक्ष में प्रशिक्षुओं के आमद के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा निर्गत आदेश-निर्देश नोटिस बोर्ड पर प्रशिक्षुओं की सुविधा हेतु चस्पा किये जायेंगें।

(iv) स्वागत कक्ष में आगमन के समय प्रशिक्षुओं के लिए चाय, पानी आदि की व्यवस्था की जायेगी, जिसका व्यय प्रशिक्षुओं के मैस कटिंग में सम्मिलित किया जाएगा।

(v) स्वागत कक्ष में नियुक्त किये गये कर्मी प्रशिक्षुओं को पूर्व से आंवटित छात्रावास एवं भोजनालय की जानकारी देगें।

(vi) भोजन व्यवस्था के लिए मैस एडवांस के रूप में संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जायेगी।

(vii) स्वागत कक्ष में ही प्रशिक्षुओं के नॉमिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगें, जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जाएगा एवं अभिलेखों की चेकिंग व मिलान किया जाएगा।

(viii) आमद के समय सभी प्रशिक्षुओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लिया जाएगा।

(ix) प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक/ एच.डी.आई. द्वारा सम्पादित की जायेगी, जिसका उल्लेख शारीरिक नाप-तौल रजिस्टर में किया जाएगा।

(x) प्रशिक्षण के प्रारम्भ में **''जीरो परेड''** आयोजित की जायेगी। समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम **02** दिवस में सैन्य सहायक व एच.डी.आई./ प्रतिसार निरीक्षक/ सूबेदार मेजर द्वारा प्रशिक्षुओं को टोलियों में विभक्त कर जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें संस्था/ इकाई परिसर की पूर्ण जानकारी करायी जायेगी। सैन्य सहायक व एच.डी.आई./ प्रतिसार निरीक्षक द्वारा परिसर का भ्रमण अपने नेतृत्व में कराया जाएगा। इस अवधि में प्रशिक्षुओं के साथ **Ice Breaking Exercise** का आयोजन किया जाएगा। **''जीरो परेड''** की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण का महत्व, पुलिस विभाग में अनुशासन की आवश्यकता तथा प्रशिक्षण संस्था में परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जाएगा।

(xi) प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के आदेशों/ निर्देशों से अवगत कराने हेतु एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप/ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके ग्रुप एडमिन सैन्य सहायक/ क्षेत्राधिकारी लाइन्स/ अन्तःकक्ष प्रभारी, एच.डी.आई./ प्रतिसार निरीक्षक/ शिविरपाल, सूबेदार मेजर, हवलदार मेजर होंगें । सैन्य सहायक इस ग्रुप में अनुशासन बनाये रखने के उत्तरदायी होंगें।

नोट- प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक/ एच.डी.आई. द्वारा प्रत्येक माह ली जायेगी और उसकी प्रविष्टि शारीरिक नाप तौल रजिस्टर में की जायेगी। इस नाप तौल का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप सुधार हो रहा है या नहीं।

2. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर के छात्रावासों में आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। सभी प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में उक्त आंवटित छात्रावासों में ही आवासित होंगें। किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि में प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर से बाहर रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। संस्था द्वारा छात्रावास में पर्याप्त रोशनी हेतु एल.ई.डी. बल्ब/ ट्यूब लाइट, पंखे तथा पलंग/ तख्त की व्यवस्था की जायेगी। छात्रावास में प्रशिक्षु के किसी परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र, परिचित इत्यादि को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

महिला प्रशिक्षु आरक्षी के छात्रावास/ आवास के लिए निरीक्षक/ उपनिरीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी प्रत्येक छात्रावास के लिए वार्डन के रूप में नियुक्त की जायेगी, जिसका कर्तव्य छात्रावास में अनुशासन बनाये रखना, प्रशिक्षकों एवं आगन्तुकों पर नियंत्रण रखना होगा। यथा-सम्भव वार्डन को उसी छात्रावास में रहने हेतु 01 कमरा एवं कार्यालय हेतु 01 कमरा प्रदान किया जाए।

3. भोजन व्यवस्था

(i) समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्था में उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(ii) भोजन करते समय भोजनालय में संस्था द्वारा निर्धारित पोशाक पहनी जायेगी।

(iii) मैस का पूर्ण संचालन स्वयं प्रशिक्षुओं द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मैस प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा। यह मैस प्रबन्धन समिति सत्र निदेशक की देख-रेख में 01 माह के लिए बनायी जायेगी।

(iv) भोजन केवल भोजनालय के डायनिंग हाल में बैठकर किया जाएगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड/पी0टी0/विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु निर्धारित सादा परिधान यथा ग्रीष्मकालीन परिधान के रूप में सफेद पूरी बांह की शर्ट, काली पैन्ट, काली बेल्ट, काले मोजे व काले जूते (Formal) धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त शीतकालीन परिधान में उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित जर्सी धारण की जाएगी।

5. विशेष सेवाओं के लिए कटौती

प्रशिक्षण संस्था द्वारा जो भी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगीं उनके निमित्त संस्था प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में लाभ/ हानि रहित (No Profit/ No Loss) आधार पर की जाएंगीं। ऐसी सुविधाएँ, जिनका भुगतान सामूहिक रुप से किया जाना है उनके परिप्रेक्ष्य में संस्था प्रमुख द्वारा सत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें प्रशिक्षु भी सम्मिलित होंगे, गठित की जाएगी जिसके द्वारा विभिन्न कटौतियों की राशि प्रस्तावित की जायेगी और ये कटौतियां संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

6. दिवसाधिकारी

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी (Day Officer) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दिवसाधिकारी, प्रशिक्षण संस्था के नियुक्त/ कार्यरत प्रशिक्षकों में से ही नियुक्त किया जाएगा, जिसके निम्न कर्तव्य होंगें-

1. भोजन के समय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का प्रशिक्षुओं से पालन कराना।
2. विद्यालय के समय प्रशिक्षुओं को एकत्रित कर गणना करना तथा उन्हें अन्तः कक्षाओं में पहुंचाना और उपस्थिति का स्टेटमेन्ट अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना।
3. प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान बीमारी/ दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में एच0डी0आई0/ सैन्य सहायक को सूचित कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
4. प्रतिदिन रात्रि गणना पर उपस्थित रहना।

7. रात्रि गणना

प्रशिक्षुओं की रात्रि गणना प्रतिदिन संस्था मेजर के द्वारा सूबेदार मेजर व एच.डी.आई. की उपस्थिति में ली जायेगी। किसी भी प्रशिक्षु को रात्रि गणना से छूट नही प्रदान की जायेगी। एच.डी.आई. रात्रि गणना की कुशलता रिपोर्ट सैन्य सहायक को देंगें। कोई भी उल्लेखनीय बात तत्काल एच0डी0आई0/ सैन्य सहायक के द्वारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जायेगी। सैन्य सहायक सप्ताह में कम से कम 3 बार अपनी उपस्थिति में रात्रि गणना करायेंगें। प्रशिक्षण अवधि में सैन्य सहायक द्वारा संस्था प्रमुख की अनुमति से माह में कम से कम एक बार आकस्मिक रोल कॉल ली जायेगी।

8. चिकित्सा सुविधा

समस्त प्रशिक्षुओं को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं यदि प्रशिक्षण संस्था से चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा, वहाँ पर प्रशिक्षु के उपचार हेतु प्रशिक्षण संस्था प्रमुख सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करायेंगें।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रति 02 माह के अन्तराल पर अनिवार्य रूप से मेडिकल कैम्प लगाकर प्रशिक्षुओं का रूटीन मेडिकल परीक्षण (ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्राम आदि) कराया जाएगा एवं समस्त प्रशिक्षुओं का चार्ट तैयार किया जाएगा।

9. मनोरंजन

संस्था में प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन–गृह में टेलीविजन तथा इन्डोर गेम्स यथा टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चैस व बैडमिंटन इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में एक हिन्दी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र स्टैण्ड पर लगाकर पढ़ने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

10. खेल-कूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। सैन्य सहायक खेल-कूद के लिए वॉलीबाल, फुटबॉल, बास्केट बॉल, हैण्डबॉल, हॉकी, तथा तैराकी आदि हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। सैन्य सहायक प्रशिक्षण अवधि में इण्डोर व आउटडोर खेलकूदों की प्रतियोगिता आयोजित करायेंगें और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रशिक्षण के प्रारम्भ में ही सैन्य सहायक, सत्र निदेशक से परामर्श कर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम तैयार कर संस्था प्रमुख से अनुमोदित करायेंगें तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगें।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रशिक्षण अवधि के मध्य अकार्य दिवसों में प्रशिक्षुओं से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा निबन्ध प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग कराया जाएगा। सत्र निदेशक/ सैन्य सहायक, संस्था प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त इन कार्यक्रमों का आयोजन करायेंगें। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

12. पुस्तकालय

संस्था में एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों तथा विभागीय ज्ञान से संबन्धित पत्रिकाएं इत्यादि रखी जायेंगीं।

13. सूचना पट्ट

संस्था में प्रशिक्षुओं के बैरक के निकट, गणना स्थल तथा अन्तःकक्ष में एक-एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आवश्यक आदेश/ निर्देश चस्पा किये जायेंगें।

14. सुझाव/ शिकायती पत्र पेटिका

(i) संस्था में प्रशिक्षुओं के छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(ii) संस्था प्रमुख द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा यह पेटिका प्रतिदिन खोली जायेगी।

(iii) सभी सुझाव/ शिकायतों को क्रमवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा एवं उसी में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी जिसे प्रत्येक शुक्रवार को संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

15. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह संस्था प्रमुख द्वारा मासिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रशिक्षुओं से समस्याओं एवं प्रशिक्षण के संबंध में संस्था प्रमुख द्वारा वार्ता की जायेगी। संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव भी प्राप्त किये जायेंगें। सम्मेलन में उठाई गयी समस्याओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर बनाया जाएगा और अगले सम्मेलन में उनके निराकरण/ कृत कार्यवाही का विवरण अंकित कर संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

16. श्रमदान एवं वृक्षारोपण

पुलिस विभाग में श्रमदान की एक दीर्घकालीन सुस्थापित परम्परा है। यह टीम भावना तथा संस्था/ इकाई से लगाव/ अपनत्व बढ़ाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं द्वितीय शनिवार को पूर्वान्ह में ही कराया जाएगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्द, गार्डन, संस्था परिसर आदि की सफाई व रख-रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अंतः विषयों के कालांशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण नहीं कराया जाएगा।

17. अवकाश एवं अनुपस्थिति (आधारभूत प्रशिक्षण)

(i) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षु को सामान्य रूप से कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 06 दिवस आकस्मिक अवकाश व 06 दिवस सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति देय होगी।

(ii) चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(iii) यदि अपरिहार्य कारणों से कोई प्रशिक्षु पूरे प्रशिक्षण अवधि में कुल 21 कार्य दिवस तक अवकाश से अनुपस्थित हो जाता है तो उसके प्रभावित कालांशों की पूर्ति प्रचलित प्रशिक्षण सत्र में कराकर अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

(iv) यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक रूप से आदतन सिक परेड में खड़ा होता है, जिससे उसकी प्रशिक्षण में अरूचि प्रदर्शित होती है, तो प्रशिक्षु का यह आचरण अनुशासनहीनता माना जाएगा।

(v) यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा।

(vi) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से कुल 15 कार्य दिवसों की अवधि से अधिक अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसे प्रकरण की जांच संस्था प्रमुख द्वारा राजपत्रित अधिकारी से करायी जायेगी जो 07 दिवस के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी और अनुशासनहीनता के प्रमाणित होने पर प्रस्तर 21 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों में से अनुशासनहीनता की गम्भीरता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(vii) पूरे प्रशिक्षण काल में किसी भी कारण (यथा आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, अनुपस्थिति आदि) से 45 कार्य दिवस से अधिक प्रशिक्षण से पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उसे उसकी नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया जाएगा। उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर यह समाधान किया जाएगा कि क्या उक्त अनुपस्थिति ऐसी प्रकृति की है कि समुचित चेतावनी अथवा दण्ड देकर अगले बैच के साथ पुनः आधारभूत प्रशिक्षण करा दिया जाये, अथवा उक्त अनुपस्थिति बिना किसी आधार के है और अत्यन्त प्रमाद एवं लापरवाहीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में **उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015** के नियम 20(4) के अन्तर्गत नियुक्ति/सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(viii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर 17(vii) के अन्तर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संदर्भित प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का मौका पुनः दिया जाना चाहिए तो वे तद्नुसार प्रशिक्षण निदेशालय एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को सूचित करेंगें। प्रशिक्षण निदेशालय अगले आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में उन्हें सम्मिलित करने का निर्णय लेकर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे समय से आधारभूत प्रशिक्षण में भेज सकेंगें।

(ix) बाह्य प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोटों/ फ्रैक्चर इत्यादि के कारण यदि किसी प्रशिक्षु की 30 कार्य दिवस तक की कुल अवधि तक अन्तः कक्षीय कालांशों में उपस्थिति हो व केवल बाह्य कक्षीय कालांशों से अनुपस्थिति हो, तो उस दशा में "काम नहीं तो दाम नहीं" का सिद्वान्त प्रभावी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके बाह्य कक्षों के प्रभावित कालांशों की पूर्ति नियमानुसार कराये जाने के पश्चात ही बाह्य विषयों की अन्तिम परीक्षा ली जायेगी। ऐसी दशा में प्रशिक्षु की संस्था से अनुपस्थिति नही मानी जायेगी।

(x) प्रशिक्षुओं के वेतन के संबंध में **''उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015''** के **नियम 23 व 24** के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(xi) संस्था प्रमुख द्वारा अपने विवेक से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा, परन्तु यह अवधि पूरे प्रशिक्षण अवधि में 03 कार्य दिवस से अधिक की नहीं होगी। उपरोक्त सामूहिक अवकाश, प्रशिक्षु को देय 06 दिवस आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

18. महिला प्रशिक्षु आरक्षी द्वारा गर्भधारण

(1) आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है तथा यदि वह प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है, तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा।

(2) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति की तिथि के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी परन्तु यदि गर्भवती होने से पूर्व महिला प्रशिक्षु द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अवधि 04½ माह से कम रही हो तो पूरा प्रशिक्षण पुनः करना अनिवार्य होगा। यदि किए गए प्रशिक्षण की अवधि 04½ माह या उससे अधिक की हो गयी हो, तो शेष प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरम्भ होगा जहाँ से छोड़ा गया था एवं यह प्रशिक्षण निदेशालय के आदेश के उपरान्त अगले बैच के साथ कराया जाएगा।

(3) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाणपत्र देना होगा। राज्य से बाहर की निवासी महिला को यह प्रमाणपत्र संबन्धित प्रशिक्षण संस्था के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करना होगा। यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पहले अथवा प्रशिक्षण के दौरान गर्भपात हो जाता है तो प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के पूर्व वह अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (यदि वह उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर की निवासिनी है तो संबन्धित प्रशिक्षण संस्था/ केन्द्र के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी) से प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त (Fit) होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण में सम्मिलित हो सकेगी।

(4) प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था पर नियमानुसार विशाखा कमेटी/ इन्टर्नल कम्प्लेन्ट्स कमेटी(आई.सी.सी.) का गठन किया जाएगा।

19. प्रशिक्षुओं के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

(i) प्रशिक्षु का आचरण उच्चकोटि का होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण संस्था/ केन्द्र में अनुशासन सुदृढ़ रहे।

(ii) प्रशिक्षु द्वारा संस्था/ केन्द्र के सभी कार्यक्रमों में समयबद्वता एवं नियमों का ध्यान रखा जाएगा।

(iii) प्रशिक्षु व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेगा।

(iv) प्रशिक्षु अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेगा।

(v) प्रशिक्षु भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, छात्रावास आदि में तेज ध्वनि से म्यूजिक नहीं बजाएगा और न ही तेज स्वर में बात करेगा।

(vi) प्रशिक्षण संस्था/ केन्द्र में धूम्रपान करना वर्जित है। संस्था परिसर में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन, तम्बाकू, गुटका व पान मसाले का सेवन एवं किसी भी प्रकार का भोजन बनाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(vii) प्रशिक्षु वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार उचित माध्यम से ही कर सकेगा।

(viii) सभी प्रशिक्षु क्लास में नियत समय से 05 मिनट पूर्व बैठ जाएगें।

(ix) प्रशिक्षुओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बहुमूल्य आभूषण और अधिक नकदी छात्रावास में न रखें, बल्कि बैंक/ पोस्ट ऑफिस में रखें।

(x) बाह्य प्रशिक्षण के दौरान घड़ी, चेन, अंगूठी तथा अन्य आभूषण पहनना वर्जित है।

(xi) किसी आपात स्थिति में अन्तः प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षु को अन्तः प्रशिक्षण भवन से बाहर तथा संस्था परिसर के अन्दर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह इण्डोर प्रभारी की अनुमति से जा सकेगा।

(xii) संस्था परिसर से बाहर बिना अनुमति के जाना वर्जित है। अवकाश के दिन सैन्य सहायक की पूर्व अनुमति से ही प्रशिक्षु अनुमति के समय के अनुसार नामित प्रशिक्षक के साथ दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजार जा सकेगें। किसी भी प्रशिक्षु को संस्था परिसर से बाहर स्थानीय बाजार में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(xiii) समस्त प्रशिक्षु संस्था के नियमों व संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये आदेशों का पालन करेंगें।

(xiv) यदि कोई प्रशिक्षु, संस्था प्रमुख से उनके कार्यालय में मिलना चाहेगा तो वह एच.डी.आई./ सैन्य सहायक के माध्यम से अनुमति लेकर कार्य दिवस में मिल सकेगा

(xv) प्रशिक्षु का संस्था के प्रशिक्षकों/ स्टाफ के सदस्यों के निवास स्थान पर जाना पूर्णतया वर्जित है।

20. प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्था में अपचार

प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षुओं द्वारा कारित अपचार निम्न प्रकार के होंगें-

(i) कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता, उपेक्षा अथवा विफलता।

(ii) प्रशिक्षण संस्था के संकाय सदस्यों/ प्रशिक्षण स्टाफ/ कर्मचारियों पर हमला, अपराधिक बल, अपराधिक अभित्रास जैसे अन्य अपराधिक कार्य करना। (इन शब्दों के वही अर्थ होंगें जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित हैं)

(iii) प्रशिक्षण संस्था में महिलाओं के संदर्भ में लैंगिक उत्पीड़न जैसे कार्य करना। लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ होगा जैसा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 में परिभाषित है।

(iv) हड़ताल का दुष्प्रेरण, प्रदर्शन या प्रदर्शन जनित अन्य कार्य।

(v) सोशल मीडिया पर राजनैतिक, अनैतिक एवं उपरोक्त बिन्दु (iv) से संबंधित जैसे संदेशों को प्रसारित करना।

(vi) पूर्व के अपराधिक इतिहास को छुपाकर नौकरी पाना।

(vii) अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये स्वयं को जानबूझकर कर अयोग्य कर लेना।

(viii) अनुशासनहीनता/ अवज्ञा जनित कोई कार्य के लिए उत्प्रेरित करना।

(ix) अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना।

(x) शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन करना।

(xi) सार्वजनिक आमोद-प्रमोद एवं अन्य ऐसे कार्य कारित करना जिसे संस्था/प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों-निर्देशों द्वारा वर्जित किया गया हो।

21. संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्राविधान

(A) प्रशिक्षण संस्था में किसी प्रशिक्षु द्वारा बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार कारित करने के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु द्वारा कारित अपचार की गंभीरता को दृष्टिगत निम्न कार्यवाही की जा सकेगी -

(i) **प्रचलित प्रशिक्षण सत्र से निलम्बन एवं निष्कासन (Suspension and Expulsion)-** इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी से अनिम्न स्तर के संस्था प्रमुख या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से अनिम्न स्तर का न हो, द्वारा लिया जाएगा व इस प्रकार के प्रकरण में मामले की सम्पूर्ण रिपोर्ट अविलम्ब पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी एवं इसकी एक प्रति नियुक्ति जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(ii) **सेवा से हटाया जाना (Removal from service)-** यदि संस्था प्रमुख की राय में वह अपचार इस श्रेणी का है कि सम्बन्धित प्रशिक्षु दक्ष पुलिस आरक्षी के पद पर नियुक्त होने के योग्य न हो तो इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी से अनिम्न स्तर के संस्था प्रमुख या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से अनिम्न स्तर का न हो, द्वारा लिया जाएगा व ऐसे प्रकरण की सम्पूर्ण रिपोर्ट अविलम्ब पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी एवं इसकी एक प्रति जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(B) जो प्रशिक्षु उपरोक्त बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार के दोषी पाये जायेंगें, उनके विरुद्ध उ0 प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली,1991 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

(C) उपरोक्त बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार के मामले में दण्ड का निर्धारण संस्था प्रमुख द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, गम्भीरता एवं पूर्व में अधिरोपित दण्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(D) **बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार के मामले में कार्यवाही से पूर्व-**

(i) संस्था प्रमुख द्वारा सम्बन्धित अपचार के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से जांच अधिकतम 07 दिवस के अन्दर करा ली जायेगी।

(ii) उपरोक्त बिन्दु संख्या- 21(A) के संदर्भ में संस्था प्रमुख द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर अपचारी प्रशिक्षु को उसकी नियुक्ति जनपद भेज दिया जाएगा तथा प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षण निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित की जायेगी।

(iii) आशंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु संख्या - 21 की समस्त कार्यवाही में संस्था प्रमुख के निष्कर्ष को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

(E) **संस्था के उपप्रमुख की शक्तियाँ–** दण्ड तथा अवकाश के सम्बन्ध में उपप्रमुख की वही शक्तियाँ होंगी, जो संस्था प्रमुख द्वारा अधिकृत की जायें।

22. प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्था प्रमुख के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। संस्था प्रमुख प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को सत्र निदेशक नियुक्त करेंगें, जिसके निम्न कर्तव्य होंगें-

(i) प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्तः एवं बाह्य कक्षीय पाठ्यक्रम को सम्बन्धित संस्था द्वारा विषयवार निर्धारित कालांशों के कार्य दिवसों के अनुसार इण्डोर प्रभारी व सैन्य सहायक के सहयोग से तैयार करवाना एवं इसका क्रियान्वयन कराना।

(ii) निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्तः कक्ष एवं बाह्य कक्ष के प्रशिक्षकों को संस्था प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्त करना।

(iii) अन्तः कक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण में अनुशासन बनाये रखने के लिए मॉनीटर/ कमाण्डर नियुक्त करना एवं कक्षा में नियुक्त किये गये मॉनीटर/ कमाण्डर की सूची अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित एल0एम0एस0 पोर्टल, ई-लर्निंग के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी देना एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख, अभिलेख उपलब्ध कराना।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं समापन संस्था प्रमुख द्वारा/ उनके निर्देशानुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराना।

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार मध्यावधिक एवं अन्तिम परीक्षाओं की समस्त व्यवस्था संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के उपरान्त समय पर कराना।

(vii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी प्रशिक्षुओं के ठहरने एवं उनके भोजन आदि की व्यवस्था हेतु शिविरपाल को निर्देशित करते हुए समय से व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

(viii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं में से ही प्रत्येक माह मैस प्रबन्धक नियुक्त करना। मैस मीटिंग प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को सैन्य सहायक की अध्यक्षता में की जायेगी, जिसमें अगले माह के लिए मैस मैनेजर व मैस कमेटी (क्रय समिति, आडिट समिति आदि) का चुनाव प्रशिक्षु करेंगें। मैस की खरीदारी के समय सैन्य सहायक द्वारा नामित प्रशिक्षक भी मैस प्रबन्धक के साथ जाएगा एवं खरीदारी के बाद साथ में वापस आयेगा। मैस से सम्बन्धित मैस मैन्यू एवं समस्त खर्च प्रत्येक माह की प्रथम सप्ताह में सभी प्रशिक्षुओं के अवलोकनार्थ मैस नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा।

(ix) यह सुनिश्चित करना कि मैस प्रबन्धक एवं मैस कमेटी प्रत्येक माह बदली जाये एवं ऐसे प्रशिक्षुओं, जिन्हे पूर्व में यह जिम्मेदारी नहीं दी गयी हो, को इसकी जिम्मेदारी दी जाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षुओं को यह कार्य सीखने का अवसर मिल सके।

(x) मैस मैन्यू को मैस कमेटी द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित किया जाये, जिसे सत्र निदेशक एवं संस्था प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस मैन्यू में पौष्टिक आहार (Nutritious Meal) प्रदान किया जाये। आगामी सप्ताह का मैन्यू रविवार को मैस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाये।

(xi) सत्र निदेशक प्रशिक्षुओं की परिसर (Campus) में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर छात्रावास एवं अन्तः कक्ष का औचक निरीक्षण भी करेंगें।

(xii) अपरिहार्य परिस्थिति में कोर्स के प्रशिक्षुओं के संस्था से बाहर जाने की स्थिति में सैन्य सहायक की अनुमति से एचडीआई के द्वारा गेट पास निर्गत किया जाएगा, जो एक निश्चित अवधि (निर्धारित घण्टे) हेतु मान्य होगा।

(xiii) प्रत्येक माह में किन्हीं 02 रविवार को प्रशिक्षुओं को अलग अलग समूह में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण संस्था से बाहर भेजा जा सकेगा, जिससे वह अपने आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी इत्यादि कर सकें, परन्तु इनकी वापसी रात्रि गणना से पहले सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक समूह के साथ संस्था/ प्रशिक्षण केन्द्र का एक अराजपत्रित अधिकारी साथ जाएगा।

23. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता

प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की एक प्रति संस्था द्वारा निशुल्क (Free of Cost) उपलब्ध कराई जाएगी।

24. व्यवहारिक प्रशिक्षण

संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु अपनी नियुक्ति जनपद में 03 माह (90 दिवस) का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें। सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण पंजिका (Training Register) बनायेंगें, जिसमें दिनांक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित किया जाएगा। व्यवहारिक प्रशिक्षण की विषय वस्तु प्रस्तर 36 में दी गयी है। जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी प्रत्येक माह के किन्हीं दो शुक्रवार को मूल्यांकन साक्षात्कार करेंगें, जिसकी टिप्पणी प्रशिक्षण पंजिका में करेंगे। संस्था प्रमुख द्वारा 03 माह बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण के उपरान्त साक्षात्कार लिया जाएगा तथा जो प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान पूर्णरूप से आरक्षी पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाये जायें, उन्हें जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा एक उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर प्रशिक्षु की व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाकर उसे दक्ष बनाया जाएगा।

"व्यवहारिक प्रशिक्षण" प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से रूटीन कार्य न लिया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी इन्हें अधिकाधिक सुयोग्य बनाने में ध्यान दें।

जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण अवधि में किसी भी कारण से 07 दिवस से 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षु का जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण 15 दिवस से 21 दिवस तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षु की जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण में अनुपस्थिति की अवधि 15 दिवस से अधिक होती है तो उसे पुनः पूर्ण जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

25. प्रशिक्षण के दौरान शान्ति-व्यवस्था ड्यूटी का व्यवहारिक प्रशिक्षण

संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा लिखित आदेश के बिना प्रशिक्षुओं को शांति व्यवस्था ड्यूटी के व्यवहारिक प्रशिक्षण में नहीं लगाया जाएगा, केवल पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश पर ही कानून व्यवस्था की ड्यूटी के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं को व्यवस्थापित कर सकेंगे।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं की 07 दिवस से अधिक अवधि की शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के व्यवहारिक प्रशिक्षण के कारण प्रभावित कार्य दिवसों के बराबर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार प्रशिक्षण निदेशालय का होगा। यह कार्य सम्बन्धित संस्था प्रमुख के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त किया जाएगा।

26. प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

(क) सामान्य निर्देश

(i) प्रशिक्षुओं के आत्म-सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्म-सम्मान वाला आरक्षी ही नागरिकों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा।

(ii) प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।

(iii) प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/ उद्दण्ड व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये, शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।

(iv) प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अभियुक्त हो, घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/ शवों को उठाते/ परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

(v) प्रशिक्षुओं में अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/ खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। उदाहरणार्थ-तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय **''क्षमा करियेगा/ माफ करियेगा''** इत्यादि संबोधन उचित हैं। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

(vi) **प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली (Methodology) के सम्बन्ध में निर्देश** प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को अध्ययन कराते समय निम्न विधियां प्रयोग में लायी जायेंगीं।

a. व्याख्यान (Lecture)
b. समूह संवाद (Group Discussion)/ पैनल संवाद (Panel Discussion)
c. प्रदर्शन (Demo)
d. सहभागी प्रशिक्षण (Participative Training)
e. अपराध दृश्य अनुकरण (Crime Scene Simulation)
f. प्रशिक्षण फिल्म (Training Film)
g. ऑडियो विजुअल के माध्यम से (Audio Visual)
h. Lec-Dem (Lecture- Demonstration) के माध्यम से प्रज़ेन्टेशन

(ख) अन्तःकक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

(i) प्रशिक्षक प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से कालांश/ पाठ योजना (Session/ Lesson plan) पहले ही तैयार कर लेंगे। प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता, जो कोई भी कक्षा लेंगें, वे क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश पूर्व में ही बनाकर इण्डोर प्रभारी को कालांश से पहले ही उपलब्ध करा देंगें।

(ii) प्रशिक्षण संस्था प्रभारी सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि का कार्यक्रम तैयार करायेंगें तथा सप्ताहवार कार्यक्रम निर्गत करेंगें।

(iii) प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें।

(iv) प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले से ही तैयार करने के साथ-साथ इसमें अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश भी करें।

(v) पाठ्य सामग्री को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दिया जाये, जिससे वे स्वयं विषय में तैयार होकर आयें और कक्ष प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सकें।

(vi) विषय वस्तु को स्लाइड व पिक्चर पर तैयार किया जाए एवं यथासम्भव पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें। संस्था/ केन्द्र प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता चैक कराना सुनिश्चित करें।

(vii) प्रशिक्षु को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा/ वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी व अन्य ड्यूटी आदि के पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझायें।

(viii) ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें, जिसके उत्तर में पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों। पाठ को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाये।

(ix) सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख-रखाव भी साफ-सुथरा हो।

(x) प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने/ शंका समाधान के लिए कुछ समय अवश्य दें।

(xi) मूल्यांकन में कम अंक पाने वाले प्रशिक्षुओं पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्द्धन करें। प्रशिक्षुओं की व्यवसायिक दक्षता सुधारने में उनकी मदद करेंगें।

(xii) ज्ञान जन सेवा के लिए है, अतः प्रत्येक विषय या अंश का क्रियात्मक अभ्यास अवश्य कराया जाए।

(ग) बाह्य कक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

(i) सभी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को पद कवायद का प्रशिक्षण **ड्रिल नर्सरी** से प्रारम्भ कराया जाएगा।

(ii) सभी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड अपनी टोली के साथ जायेंगें एवं प्रशिक्षण के उपरान्त परेड ग्राउण्ड से टोली के साथ ही वापस आयेंगें।

(iii) कोई भी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड पर साइकिल/ मोटर साइकिल/ गाड़ी से नहीं जायेंगें।

(iv) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि परेड/ खेलकूद के दौरान सभी प्रशिक्षु उपस्थित रहें।

(v) टोली प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगें कि यदि टोली में कोई प्रशिक्षु बीमार होता है तो तत्काल इसकी सूचना नियमानुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।

(vi) पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें तथा सबक चलायें।

(vii) विषय के अनुसार हिन्दी/ अंग्रेजी में व्याख्या करें।

(viii) अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा नमूना दें।

(ix) विभिन्न हरकतों को एक-एक करके प्रत्येक प्रशिक्षु से कराया जाए, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।

(x) प्रत्येक प्रशिक्षु की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से उसके नाम से पुकार कर सही करें। अनावश्यक टीका-टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षु उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षुओं का मनोबल न गिरने पाये।

(xi) वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।

(xii) शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हों।

(xiii) विभिन्न खेलों जैसे तैराकी, एथलेटिक्स व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।

(xiv) प्रशिक्षुओं की रूचि के अनुसार कालांशों को जूडो-कराटे/ कुश्ती/ बाक्सिंग आदि में विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।

(xv) आउटडोर के समस्त विषयों का व्यवहारिक अभ्यास अवश्य करायें। उदाहरणार्थ- घर की तलाशी, जंगल का कार्डन व तलाशी, आबादी वाले क्षेत्र का कार्डन व तलाशी, वाहन की तलाशी, जमीनी आड़/ छिपाव हासिल करते हुये सशस्त्र व्यक्तियों का पीछा करना एवं फायर करना/ दबोचना, बन्द कमरे/ भवन में दाखिल होना, भवन के अन्दर प्रवेश एवं सशस्त्र कार्यवाही, हिंसक भीड़ पर बल प्रयोग, हिंसक व्यक्ति को बिना शारीरिक चोट पहुंचाये हुए बन्दी बनाना/ परिरूद्ध करना, अशिष्ट/ उद्दण्ड व्यक्ति को बिना उत्तेजित हुये वार्ता करना एवं उसे शान्त करना इत्यादि का पर्याप्त अभ्यास कराया जाये।

(xvi) बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठयक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु संस्था प्रमुख द्वारा नामित बाह्य प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होंगें।

27. परीक्षा प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

(1) अन्तः विषयों की परीक्षाएं

(i) प्रशिक्षण की समाप्ति पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तः विषयों की परीक्षा को परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजित कराया जाएगा। अन्तः विषयों की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ (**Objective**) होगीं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।

(ii) सम्पूर्ण प्रदेश में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं हेतु प्रश्नपत्र/ उत्तर-पुस्तिकाएं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुद्रित कराकर ओ0एम0आर0 प्रणाली से मूल्यांकन कराया जाएगा।

(iii) परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाए, जिससे नकल न होने पाए। परीक्षा को संस्था प्रमुख की उपस्थिति में पर्याप्त पर्यवेक्षण स्टाफ के साथ सम्पन्न कराया जाएगा।

(2) बाह्य विषयों की परीक्षाएं

(i) प्रशिक्षण की समाप्ति पर समस्त बाह्य प्रशिक्षण की परीक्षाएं संस्था प्रमुख द्वारा सम्पन्न करायी जायेंगी। इसके लिये पर्याप्त बाह्य परीक्षक बुलाये जायेंगें, जो पुलिस उपाधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगें।

(ii) बाह्य विषयों की अन्तिम परीक्षा का परिणाम परीक्षा की समाप्ति पर उसी समय तैयार करा लिया जाये। परीक्षा में प्राप्त अंक सील बन्द करके उसी दिन संस्था/ केन्द्र प्रमुख को प्राप्त करा दिये जायेंगें।

(3) न्यूनतम अंक

उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों की परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगें। जिन अन्तः विषयों में सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों परीक्षाएं अपेक्षित हैं, उनमें दोनों परीक्षाओं का अंक जोड़कर कुल पूर्णांक का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त संस्था प्रमुख के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले 100 अंकों में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) पूरक प्रशिक्षण

(i) अन्तः एवं बाह्य विषयों अथवा दोनों प्रकार के विषयों की परीक्षा में कुल एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु आरक्षियों का 30 कार्य दिवस का पूरक प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराई जायेगी। 02 या उससे अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु आरक्षियों का 90 कार्य दिवस का पूरक प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण

निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराई जायेगी। प्रशिक्षण/ परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहे हों। यदि कोई प्रशिक्षु अन्तः एवं बाह्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हो परन्तु साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे भी 30 दिवस के पूरक प्रशिक्षण उपरान्त सिर्फ साक्षात्कार में उपस्थित होकर साक्षात्कार के कुल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) किसी भी विषय की परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और प्रशिक्षु को तत्काल प्रशिक्षण से उसकी नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया जाएगा। प्रकरण की विस्तृत आख्या पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित करते हुए नियुक्ति जनपद के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी। इस कार्यवाही के उपरान्त यदि पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उसे सेवा में रखा जाना है तो उसका पूरक प्रशिक्षण कम से कम 90 कार्य दिवस का कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त सभी विषयों की परीक्षा पुनः संपादित कराई जायेंगी।

(5) विशिष्ट प्रशिक्षुओं हेतु पुरस्कार

ऐसे समस्त प्रशिक्षुओं, जो सम्पूर्ण विषयों में प्राप्तांकों के योग में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, को विशिष्ट प्रशिक्षु (एक्सीलेण्ट कैडेट) घोषित किया जाएगा। विशिष्ट प्रशिक्षु घोषित करने में उस प्रशिक्षु के द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में किये गये विशिष्ट कार्य तथा पुरस्कार आदि को ध्यान में रखा जाएगा, परन्तु ऐसा प्रशिक्षु, जिसके सम्बन्ध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो या जिसका आचरण प्रशिक्षण काल में वांछित स्तर का न रहा हो, को विशिष्ट प्रशिक्षु घोषित नहीं किया जाएगा, भले ही उसने 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। संस्था प्रमुख द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षुओं को अलग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(6) उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की ज्येष्ठताक्रम का निर्धारण उ0प्र0 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 से निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगा।

(7) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं का पूरक प्रशिक्षण बिन्दु संख्या 27(4)(**i**) के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे उपरोक्तानुसार क्रमशः निर्धारित किया जाएगा।

28. पुरस्कार

आधारभूत प्रशिक्षण की समाप्ति पर निम्नलिखित पुरस्कार/ प्रशस्ति पत्र अथवा दोनों प्रदान किये जायेंगें जिसमें प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों को सम्मिलित किया जाएगा-

(क) अन्तः विषय-

(i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु

(ii) सभी अन्तः विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु

(ख) बाह्य विषय-

(i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु

(ii) सभी बाह्य विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु

(ग) सर्वांग सर्वोत्तम-

अन्तः विषयों, बाह्य विषयों, आन्तरिक एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

(घ) परेड कमाण्डर-

पासिंग आउट परेड के परेड कमाण्डर प्रथम एवं द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

(ड़) प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उपनिरीक्षक अध्यापक, आई0टी0आई0/ पी0टी0आई0 को भी प्रशिक्षण संस्था प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जाएगा।

29. अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की सूची

खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उद्घोषणा इत्यादि में अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की डेटाबेस बनायी जाये एवं इसे प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त अपडेट किया जाये। इस सूची को प्रशिक्षण निदेशालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ एवं संदर्भित जोन के साथ भी साझा किया जाये।

30. फीडबैक

(i) अन्तःकक्षीय/ बाह्यकक्षीय प्रशिक्षकगण के बारे में प्रशिक्षुओं से प्रत्येक माह में फीडबैक **(परिशिष्ट- 3)** लिया जाए ताकि उनके द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा सके।

(ii) प्रत्येक प्रशिक्षु से संस्था के बारे में फीडबैक **(परिशिष्ट- 4)** प्रत्येक 15 दिवस पर लिया जाएगा जिससे फीडबैक में दर्शायी गयी कमियों को समय से सुधारा जा सके।

31. प्रशिक्षण की रूपरेखा

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत होगा।

1.	**प्रारम्भिक प्रशिक्षण**	**30 दिवस**
2.	**आधारभूत प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थानों/ केन्द्रों में)**	**270 दिवस**
3.	**जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण**	**90 दिवस**

32. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांश

(क) प्रारम्भिक प्रशिक्षण 01 माह (30 दिवस)

क्र0सं0	विषय	दिवस
1.	प्रशिक्षण की अवधि	30 दिवस (1 माह)
2.	रविवार एवं अवकाश की संख्या	06 दिवस
3.	प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिवस	24 दिवस
4.	अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 4 कालांश के अनुसार कुल कालांशों की संख्या	96 कालांश
5.	‘‘जीरो परेड’’ की अवधि	02 दिवस
6.	बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 5 कालांश के अनुसार (श्रमदान/ रखरखाव दिवस) सहित	120 कालांश
7.	प्रशिक्षण हेतु कुल कालाँशों की संख्या	216 कालांश

नोट- अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के प्रत्येक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी। इसके अतिरिक्त संस्था प्रमुख द्वारा अन्तःकक्षीय विषयों से बचे हुए 02 कालांशों में आवश्यकतानुसार दायित्व संबंधी कार्य का प्रशिक्षण कराया जा सकता है।

(ख) आधारभूत प्रशिक्षण

क्र0सं0	विषय	दिवस
1.	प्रशिक्षण की अवधि	270 दिवस
2.	रविवार एवं अवकाश की संख्या	54 दिवस
3.	‘‘जीरो परेड’’ की अवधि	02 दिवस
4.	मध्यावधि/ सामूहिक अवकाश	03 दिवस
5.	अन्तिम परीक्षा (अन्तः विषय, बाह्य विषय एवं साक्षात्कार)	14 दिवस
6.	दीक्षान्त परेड का अभ्यास	07 दिवस
7.	फायरिंग	02 दिवस

8.	जंगल कैम्प	03 दिवस
9.	प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिवस	185 दिवस
10.	अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 6 कालांश के अनुसार (185X6) कुल कालांशों की संख्या	1110 कालांश
11.	बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 5 कालांश के अनुसार (185X5) (श्रमदान/ रखरखाव दिवस सहित)	925 कालांश
12.	प्रशिक्षण हेतु कुल कालाँशों की संख्या	2035 कालांश

नोट- अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के प्रत्येक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी।

(ग) व्यवहारिक प्रशिक्षण- आधारभूत कोर्स करने के बाद नियुक्ति जनपदों में (03 माह)

33. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कालांशों एवं अंकों की गणना

क्र0सं0	**विषय**	**कालांश**	**अंक**
	प्रारम्भिक प्रशिक्षण		
1.	अन्तः विषय (प्रारम्भिक प्रशिक्षण)	96	-
2.	बाह्य विषय (प्रारम्भिक प्रशिक्षण)	120	-
	आधारभूत प्रशिक्षण		
3.	अन्तः विषय (आधारभूत प्रशिक्षण)	1110	800
4.	बाह्य विषय (आधारभूत प्रशिक्षण)	925	600
5.	प्रशिक्षण संस्था प्रमुख (साक्षात्कार के अंक)	-	100
	योग	**2251**	**1500**

नोट- समस्त प्रशिक्षुओं की आधारभूत प्रशिक्षण समाप्ति पर मैरिट लिस्ट उपरोक्तानुसार अन्तः विषयों के 800 अंक, बाह्य विषयों के 600 अंक व प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त 100 अंकों को जोड़कर प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी।

34. प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों, कालांशों एवं अंकों का विवरण

(क) – अन्तः विषयों के कालांशों एवं अंकों का विवरण

(i) प्रारम्भिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	विषय वस्तु	कालाँश	अंक
1	विविध समूह	पुलिस कर्तव्य, आचरण, नैतिकता एवं संवेदनशीलता	96	-
योग			**96**	**-**

नोट- विविध समूह के कालांशों में पढ़ाए गए विषयों की परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को आधारभूत प्रशिक्षण एवं पुलिस सेवा हेतु मानसिक रूप से केन्द्रित करना होगा।

(ii) आधारभूत प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम समूह	पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अर्न्तविभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन	90	75
2	द्वितीय समूह	पुलिस विज्ञान- प्रथम (अपराध शास्त्र एवं अपराध नियन्त्रण, विवेचना, अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन)	140	100
3	तृतीय समूह	पुलिस विज्ञान- द्वितीय (सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन, यातायात नियन्त्रण, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार, गार्द ड्यूटी, बन्दी स्कोर्ट, हवालात ड्यूटी)	210	125
4	चतुर्थ समूह	भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल	130	100
5	पंचम समूह	अपराध विधि- भारतीय न्याय संहिता 2023/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023/ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023	160	125
6	षष्टम समूह	विविध अधिनियम	120	100
7	सप्तम समूह	कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम	140	100
8	अष्टम समूह	विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार	120	75
योग			**1110**	**800**

नोट- अन्तः विषयों का प्रत्येक माह मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन को आन्तरिक विषयों के परीक्षा के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे सिर्फ प्रशिक्षुओं में सुधार हेतु उपयोग में लाया जाएगा। अन्तः विषयों की अन्तिम परीक्षा 800 अंकों की होगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नामित परीक्षा समिति द्वारा करायी जायेगी।

(ख)- बाह्य विषय के कालांशों एवं अंकों का विवरण

(i) प्रारम्भिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	श्रमदान	12
2	शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी एक्सरसाइज)	40
3	योगासन	20
4	खेलकूद	24
5	खड़े होने (सावधान, विश्राम)/ मार्च करने के सही तरीके, वर्दी पहनना, वर्दी टर्न आउट, वर्दी व सादे में सैल्यूट, एक साथ टोली में फॉल-इन होना	24
	योग	**120**

(ii) आधारभूत प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम समूह	शारीरिक प्रशिक्षण	120	100
2	द्वितीय समूह	पदाति प्रशिक्षण	140	100
3	तृतीय समूह	शस्त्र प्रशिक्षण	70	75
4	चतुर्थ समूह	जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स	82	75
5	पंचम समूह	भीड़ नियन्त्रण	40	40
6	षष्टम समूह	अनआर्म्ड काम्बैट (यू0ए0सी0)	30	40
7	सप्तम समूह	योगासन	30	30
8	अष्टम समूह	यातायात नियन्त्रण	40	30
9	नवम् समूह	आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल	70	70
10	दशम समूह	विशिष्ट तलाशी अभियान	40	40
11	एकादश समूह	श्रमदान	78	-
12	द्वादश समूह	खेलकूद	185	-
		योग	**925**	**600**

नोट-

1. बाह्य विषयों का प्रत्येक माह मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका उपयोग प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के सुधार के लिए किया जाएगा।
2. मौसम को देखते हुए प्रशिक्षण के समय में स्थानीय स्तर पर संस्था प्रमुख द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
3. अन्तः एवं बाह्य विषयों के विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाएगा एवं प्रचलित नियमों के अनुसार से इसका भुगतान किया जाएगा।
4. बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के उपविषय जंगल ट्रेनिंग के अन्तर्गत फर्स्ट रेस्पान्डर की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. आरक्षियों के लिए तैराकी एवं मोटर वाहन (मोटर साइकिल/ महिलाओं के लिए स्कूटी विकल्प के रूप में) का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशिक्षण संस्था अपने यहां उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इन विषयों का प्रशिक्षण देंगें। कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं में तैराकी इत्यादि हेतु संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इन विषयों को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ग)- संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त अंकों का निर्धारण

(i) प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्म कौशल के साथ-साथ पुलिस सेवा के लिए उपयुक्त व स्वीकार्य व्यक्तितत्व का निर्माण करना भी है। उपरोक्त के दृष्टिगत आचरण, व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिये निर्धारित 100 अंकों को संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, आचरण, प्रशिक्षण के प्रति गम्भीरता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुये निम्नवत दिये जायेंगें-

क्र0सं0	विषय	अंक
1	वर्दी एवं टर्न आउट	10
2	नेतृत्व क्षमता	10
3	अनुशासन	20
4	खेलकूद/ सांस्कृतिक अभिरूचि	10
5	संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु के समग्र प्रशिक्षण के आधार पर दिये जाने वाले अंक	50
योग		**100**

(ii) विभिन्न प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर ऋणात्मक अंक प्रदान किये जाएंगें (अधिकतम 20 अंक)

क्र.सं.	विषय	अंक
1	प्रत्येक गम्भीर अनुशासनहीनता/ अवज्ञा/ चारित्रिक पतन के प्रकरण	05
2	विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, (01 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम)	05
3	सिक रेस्ट, अस्पताल दाखिल (½ अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम)	05
4	अर्दली रूम (आदेश कक्ष) में दण्ड (अधिकतम)	03
5	प्रत्येक डिफाल्टर/ चेतावनी	01

नोट- (i) संस्था प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक प्रथम सोमवार को प्रशिक्षु का मूल्यांकन उपरोक्त क्र.सं. 1 से 4 विषयों तक (कुल 50 अंक) के लिए किया जाएगा। प्रत्येक माह प्राप्तांक की सूची बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखी जाएगी। प्रशिक्षण के अन्त में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल अंकों के योग के औसत को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 4 विषयों में प्रशिक्षु का प्राप्तांक माना जाएगा। आधारभूत प्रशिक्षण के अंत में संस्था प्रमुख द्वारा समग्र प्रशिक्षण के आधार पर लिए जाने वाले साक्षात्कार में कुल 50 अंकों में से प्रदत्त अंकों को उपरोक्त 50 अंकों में प्राप्तांकों को जोड़कर 100 अंकों में से अंक दिए जाएंगें जिनमें उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु के समग्र प्रशिक्षण के आधार पर दिए जाने वाले अंकों में से 10 अक पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा अनुमोदित IGoT अथवा अन्य उपलब्ध 02 ऑनलाइन कोर्सों के Self Study mode में पूर्ण करने के लिए निर्धारित किए जाएगें।

35. दैनिक समय सारिणी

(क) समय सारणी आन्तरिक विषय

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	10:00 से 10:40 बजे तक	40 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	10:40 से 11:20 बजे तक	40 मिनट
3.	तृतीय कालांश	11:20 से 12:00 बजे तक	40 मिनट
	मध्यांतर	12:00 से 12:10 बजे तक	10 मिनट
4.	चतुर्थ कालांश	12:10 से 12:50 बजे तक	40 मिनट
5.	पंचम कालांश	12:50 से 13:30 बजे तक	40 मिनट
6.	षष्टम कालांश	13:30 से 14:10 बजे तक	40 मिनट

(ख) समय सारणी बाह्य विषय

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	06:00 से 06:40 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		06:40 से 06:50 बजे तक	10 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	06:50 से 07:30 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		07:30 से 07:35 बजे तक	05 मिनट
3.	तृतीय कालांश	07:35 से 08:15 बजे तक	40 मिनट
भोजनावकाश एवं अन्तःविषय कार्यक्रम			
4.	चतुर्थ कालांश	16:00 से 16:40 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		16:40 से 16:45 बजे तक	05 मिनट
5.	पंचम कालांश (खेलकूद)	16:45 से 17:25 बजे तक	40 मिनट

नोट- स्थानीय आवश्यकताओं एवं मौसम के अनुसार कालांश कार्यक्रम संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्था प्रमुख द्वारा प्रत्येक पीटी के कालांश को 40 मिनट के बजाय 50 मिनट की अवधि का रखा जाएगा।

36. जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण

आरक्षी नागरिक पुलिस व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना

आधारभूत प्रशिक्षण बैच के प्रशिक्षु 09 माह का आधारभूत कोर्स करने के बाद नियुक्त जनपदों में 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जनपद के प्रभारी इनका 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत करेंगे। जनपद में आगमन करने वाले प्रशिक्षुओं को उपयुक्त संख्या में अलग-अलग थाने में भेज दिया जाये। जनपद स्तर पर आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जनपद प्रभारी द्वारा थाना प्रभारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये। उसी 03 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान जनपद में उपस्थित प्रशिक्षुओं का 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उन्हें छोटे-छोटे बैच में जनपदीय मुख्यालय बुलाकर पुलिस कार्यालय, जनपदाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, कन्ट्रोलरूम तथा कारागार का भ्रमण कराया जाय। भ्रमण के पश्चात शेष प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाय। इसमें इस चरण में प्रशिक्षु निम्न कार्य सीखेगें-

क्र.सं.	विषय वस्तु
1	सन्तरी के कार्य एवं कर्तव्य (पुलिस रेग्युलेशन के अनुसार सन्तरी ड्यूटी होमगार्ड को नहीं दी जा सकती है।)
2	टेलीफोन एवं वायरलैस ड्यूटी
3	आगन्तुकों/ महिलाओं/ बच्चों के साथ शिष्ट व शालीन व्यवहार
4	गिरफ्तारी/ तलाशी का प्रपत्र (फर्द) तैयार करना
5	गिरफ्तारी की सूचना का प्रपत्र तैयार करना व जी0डी0 में प्रविष्टि करना
6	थाने पर आने वालो घायलों/ पीड़ितों/ अभियुक्तों की डाक्टरी कराना
7	न्यायालय मे पैरवी करना
8	वीआईपी/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का ज्ञान
9	अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना
10	शैडो, गनर, पी0एस0ओ0 ड्यूटी का प्रशिक्षण
11	प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करना
12	पोस्टमार्टम ड्यूटी करना
13	हाट बाजार/ मेला/ त्यौहार से संबंधित शांति व्यवस्था ड्यूटी करना
14	जी0डी0 में आमद व रवानगी करना
15	जी0डी0 में अन्य प्रविष्टियां करना
16	थाने के अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित किया जाना
17	मुल्जिम ड्यूटी के दौरान ध्यान देने योग्य बातों की जानकारी
18	सम्मन/ वारंट की तामील
19	रोड गश्त/ नगर क्षेत्र गश्त/ देहात गश्त/ नाकाबन्दी/ गाड़ाबन्दी की ड्यूटी का प्रशिक्षण
20	यातायात नियंत्रण ड्यूटी का प्रशिक्षण
21	शस्त्रों की सफाई व रखरखाव का प्रशिक्षण
22	अपराधिक घटनास्थल की सुरक्षा एवं प्रदर्शों को सील किए जाने संबंधी प्रशिक्षण
23	बीट बुक तैयार करना/ बीट का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना
24	बीट में क्षेत्र के लोगों से जनसम्पर्क
25	बीट सूचना का जी0डी0 व बीट सूचना रजिस्टर में अंकन करना
26	दुराचारी/ सक्रिय अपराधी/ मफरूर की निगरानी
27	अपराधिक सूचनाओं के एकत्रीकरण का ज्ञान
28	तैराकी प्रशिक्षण
29	मोटर साइकिल प्रशिक्षण

नोटः- 03 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण में कुल 50 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए -

(i) इसमें 25 अंक का मूल्यांकन निर्धारित विषयों की सिखलाई के आधार पर एवं 25 अंक का मूल्यांकन साक्षात्कार के आधार पर जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा दिये जायेंगें।

(ii) 30 अंक ऋणात्मक दिये जायेंगें, जिसमें अनुशासनहीनता, कदाचारित एवं अन्य अपराधिक मामलो में संलिप्तता पर अंकों की कटौती होगी।

(iii) व्यवहारिक प्रशिक्षण की मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

37. पाठ्यक्रम में संशोधन

पाठ्यक्रम में किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जायेगी तो पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण विचारोपरांत निर्णय लेकर संशोधन हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को प्रस्ताव भेजेंगे।

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ

परिशिष्ट-1

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु

(अ) अन्तः विषय

कालाँश – 96

विविध समूह-

क्र0सं0	विषय
1	भारतीय पुलिस का इतिहास (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)
2	आरक्षी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ
3	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- 1956 (सामान्य परिचय), सम्पत्ति क्रय- विक्रय, सम्पत्ति की घोषणा
4	भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51 ए
5	भारतीय संविधान के अनुसार आचरण- क्या करें, क्या न करें
6	मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उसका महत्व
7	लैंगिक सवेंदनशीलता से आशय एवं उसका महत्व
8	महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार
9	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम प्रतिषेध एवं उपचार) अधिनियम 2013- (सामान्य जानकारी)
10	पुलिस आचरण के सिद्धान्त - पूर्वाग्रह, रूढ़ि वादिता एवं पक्षपात का कार्य एवं आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव
11	पुलिस कार्य मे नैतिकता एवं जवाबदेही

नोट- उपरोक्त विषय की परीक्षा JTC में नहीं ली जाएगी।

(ब) बाह्य विषय

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	श्रमदान	12
2	शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी एक्सरसाइज)	40
3	योगासन	20
4	खेलकूद	24
5	खड़े होने (सावधान, विश्राम)/ मार्च करने के सही तरीके, वर्दी पहनना, वर्दी टर्न आउट, वर्दी व सादे में सैल्यूट, एक साथ टोली में फॉल-इन होना	24
	योग	**120**

नोट- (1) बाह्य विषयों में दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से 09 माह के आधारभूत प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्मुख एवं केन्द्रित करना है।

(2) प्रारम्भिक प्रशिक्षण में बाह्य विषयों हेतु कोई अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए इनकी कोई परीक्षा प्रारम्भिक प्रशिक्षण में नहीं ली जाएगी।

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ

परिशिष्ट-2

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु

(अ) अन्तः विषय

(1) प्रथम समूह – पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अर्न्तविभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन

कालाँश – 90 **पूर्णांक – 75**

(क). पुलिस का इतिहास

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)	2
2	जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका	2
3	पुलिस स्मृति दिवस व शहीद पुलिस कर्मी	2
4	पुलिस कर्मियों हेतु उपलब्धियां तथा पुरस्कार	2
5	पुलिस के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ	2
6	उ0प्र0 पुलिस में बेस्ट प्रैक्टिसेस (1090, यू0पी0 112, वर्चुअल क्लास)	2
	योग	**12**

(ख). पुलिस संगठन

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	**केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं शाखाएं -**	
	(i). सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) – बी.एस.एफ(BSF),सी.आर.पी.एफ.(CRPF),सी.आई.एस.एफ.(CISF), आई.टी.बी.पी. (ITBP), एस.एस.बी. (SSB), एन.एस.जी. (NSG), एस.पी.जी. (SPG)	2
	(ii). सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन (C.P.O.) - सी.बी.आई. (CBI), आई.बी. (IB), आर.ए.डब्लू. (RAW), बी.पी.आर.एण्डडी. (BPR&D), एन.आई.ए. (NIA), एन.सी.आर.बी. (NCRB), एन.डी.आर.एफ. (NDRF), एन.सी.बी. (NCB), एन.टी.आर.ओ.(National Technical Research Organization), एन.पी.ए. (NPA), सी.एफ.एस.एल. (CFSL) (नई दिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद), संदिग्ध अभिलेखों का सरकारी परीक्षण कार्यालय (शिमला, कोलकाता, हैदराबाद)	3

2	**उ0प्र0 पुलिस संगठन एवं शाखाएं -**	
	(i). उ0प्र0 पुलिस का संगठनात्मक ढाँचा (आरक्षी से पुलिस महानिदेशक), पुलिस के प्रतीक चिन्ह, पदक एवं अलंकरण	3
	(ii). पुलिस महानिदेशक कार्यालय एवं शाखाएं- पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पुलिस महानिदेशक के सहायक का कार्यालय, कार्मिक कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना कार्यालय, काइम ब्रान्च कार्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, सुरक्षा शाखा, मानवाधिकार प्रकोष्ठ, लोक शिकायत, लीगल सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, रेलवे पुलिस, 1090 (Women Power Line), महिला सम्मान प्रकोष्ठ, एस.आई.टी. (SIT), यातायात निदेशालय, अग्निशमन सेवायें, पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, एस.सी.आर.बी. (SCRB), उ0प्र0 विद्युत निगम, सेन्ट्रल स्टोर कानपुर, सेन्ट्रल रिजर्व सीतापुर, राज्य मोटर परिवहन, यू.पी-112, एस.टी.एफ. (STF), ए.टी.एस. (ATS), ANTF	8
3	जोन कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय	2
4	कमिश्नरेट पुलिस की कार्य प्रणाली, दायित्व एवं शक्तियां	2
5	**पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जनपद स्तरीय शाखाएं**	
	(i) पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक कार्यालय, आंकिक कार्यालय, शिकायत प्रकोष्ठ, डी.सी.आर.बी. (DCRB), विशेष जाँच प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, सम्मन सेल, आई.जी.आर.एस. (IGRS) सेल, क्राइम ब्रांच, रिट सेल, पैरवी सेल, एफ.आई.आर. (FIR) सेल, स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU)	4
	(ii) पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय, शस्त्रागार, जी0डी0 कार्यालय, स्टोर कार्यालय, कैश कार्यालय	2
	(iii) गोपनीय कार्यालय गोपनीय सहायक कार्यालय, वाचक कार्यालय, सर्विलान्स सेल, पी.आर.ओ. (PRO), एस.ओ.जी. (SOG)	2
	(iv) अन्य कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय	2

	(v) थाना (महिला थाना, साइबर थाना, एएचटीयू, एण्टी पावर थैफ्ट थाना सहित) चौकी एवं बीट कार्य एवं प्रकार, कार्य वितरण, रोलकॉल एवं ड्यूटी रोस्टर	4
6	**अन्य राज्य स्तरीय शाखाएं**	
	अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 होमगार्ड मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, सी0बी0सी0आई0डी0 मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, प्रशिक्षण निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, तकनीकी सेवायें (विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ फिंगर प्रिन्टब्यूरों), पी0ए0सी0 मुख्यालय, SDRF, SSF	4
	योग	**38**

(ग). अन्तः विभागीय समन्वय

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	**अपराधिक न्याय व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं**	2
2	**अन्य शाखाएं –**	
	(i) राजस्व विभाग (ii) विकास विभाग (iii) पंचायती राज संस्थायें/ स्थानीय निकाय (iv) परिवहन विभाग (v) वन विभाग (vi) खनन विभाग (vii) विद्युत विभाग (viii) आपूर्ति विभाग (ix) शिक्षा विभाग (x) चिकित्सा विभाग (xi) कारागार विभाग (xii) आबकारी विभाग (xiii) कृषि, पशु एवं जन संसाधन एवं पर्यावरण विभाग	6
3	**भू-अभिलेख एवं पैमाइश –** भूमि क्षेत्रफल प्रणाली (बीघा – विभिन्न प्रकार के बीघे एकड़/ हेक्टेयर) – विशेषज्ञ व्याख्यान	2
4	**तहसील दिवस व थाना दिवस का सामान्य ज्ञान**	2
	योग	**12**

(घ). पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	आरक्षी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ	2
2	उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित	2
3	उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991 (महत्वपूर्ण प्रस्तर)	2
4	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 (सामान्य परिचय), सम्पत्ति क्रय-विक्रय, सम्पत्ति की घोषणा	2
5	अपेक्षित शिष्टाचार तथा विभागीय गोपनीयता	2
6	**सेवाभिलेख-** चरित्र पंजिका	2
7	ज्वाईनिंग, आमद एवं रवानगी के नियम तथा समस्याओं हेतु आवेदन	2
8	वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन), रैंक बैज (सेना, वायु सेना, नौसेना सहित), साज-सज्जा, पदक एवं अंलकरण के प्रकार	2
9	नियुक्ति, स्थानान्तरण, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	2
10	आवासीय सुविधायें सरकारी मकान आवंटन/ मरम्मत/ रख रखाव के दायित्व	1
11	चिकित्सीय सुविधा, अवकाश के नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश	2
12	**सेवानिवृत्ति-** अधिवर्षता, स्वैच्छिक एवं अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें	2
13	सेवाकाल में कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ एवं असाधारण पेंशन के नियम 07, 08, 09, 10	2
14	राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनाएं	1
15	पुलिसजन के कल्याण की विशेष योजनाएं	2
	योग	**28**

(2) द्वितीय समूह – अपराध नियन्त्रण, विवेचना, अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन

कालाँश – 140 **पूर्णांक – 100**

(क) अपराध शास्त्र एवं अपराध नियन्त्रण

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	अपराध की परिभाषा, अपराध शास्त्र- परिचय, अपराध के कारण- मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक	2
2	आपराधिक व्यवहार का अध्ययन- अवधारणा, परिभाषाएं, कारक और विकास	2
3	आपराधिक तत्वों की पहचान- मनोविश्लेषणात्मक विशेषता व सामाजिक अधिगम	1
4	प्रपीड़नशास्त्र (Victimology)- अवधारणा और उद्देश्य, पीड़ित के अधिकार, पीड़ितों को प्रतीकारात्मक प्रतितोष	2
5	पथ विचलन- परिभाषा, विचलन के कारण, विचलन की दशाएं	2
6	दण्ड शास्त्र- परिचय, दण्ड के प्रकार, दण्ड के उद्देश्य, अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र का संबंध	3
7	बीट एवं गश्त व्यवस्था का परिचय, गश्त-प्रकार, नियम व उपयोगिता	2
8	अपराध निरोध में बीट व्यवस्था की भूमिका	2
9	**बीट बुक एवं उसका रख-रखाव** (i) बीट कर्तव्य – दिन व रात्रि में (ii) बीट कर्तव्य – शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (iii) बीट से वापसी के उपरान्त की जाने वाली प्रक्रियायें (iv) ई-बीट	3
10	गतिशील चेकपोस्ट/ नाकाबन्दी ड्यूटी, गाड़ाबन्दी एवं इसके प्रकार तथा इसकी उपयोगिता।	2
11	ग्राम सुरक्षा समितियाँ एवं मोहल्ला सुरक्षा समितियों का महत्व एवं अपराध निरोध में उपयोगिता।	2
12	सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/ लाईसेन्सी शस्त्र धारकों की सहायता प्राप्त करना तथा चौकीदारों से सहयोग प्राप्त करना।	2
13	हिस्ट्रीशीट एवं ग्राम अपराध पुस्तिका की जानकारी	2
14	निगरानी तथा इसके प्रकार एवं तरीके व महत्व	2
15	दुश्चरित्र व्यक्तियों की जाँच एवं निगरानी एवं फ्लाईशीट भरना।	2
16	अजनबियों एवं दुश्चरित्र व्यक्तियों की नामावली तैयार करना।	2

17	अभिसूचना संकलन में आरक्षी की भूमिका।	2
18	अभिसूचना संकलन, भण्डारण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निर्णय के तरीके, मुखबिरों (स्रोतो) को विकसित करना।	3
19	अजनबियों/ संदिग्धों से पूछताछ तथा पूछताछ का उचित एवं वैज्ञानिक तरीका।	2
20	डायल 112 व 1090 की जानकारी एवं आरक्षी की भूमिका	2
	योग	**42**

(ख). विवेचना

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट, ध्यान देने योग्य तथ्य (धारा 173,174 बी.एन.एस.एस)	3
2	**प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाते समय बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ** (i) **ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य रिट याचिका संख्या (किमिनल) 68/2008** मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। (ii) **श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर)** रिट पिटीशन संख्या -10792/2015 (iii) **श्रीमती शाहिदा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 08 अन्य (जनपद-सहारनपुर)** रिट पिटीशन संख्या-10756/2015 (iv) **रूपराम बनाम राज्य** प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 2028 पी छ-पु0-3-13 (13) पी/ 15 दिनांकः 23.07.2015 के पत्र में अंकित	8
3	विवेचक के सहयोगी के रूप में आरक्षी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	2
4	विवेचना का अभिप्राय, अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर., सी.एस.)	2
5	अभियुक्त के अधिकार **(डी0के0 बसु)**	2
6	अपराध घटना स्थल का अनुक्रम (SEQUENCE) तथा अपराध घटना स्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित करना	3
7	चोट ग्रस्त/ पीड़ित व्यक्ति के साथ बर्ताव	1
8	गिरफ्तारी कैसे सम्पन्न की जाये (क्रियात्मक अंश) आज्ञापरक/ प्रतिरोधी/ आक्रामक व्यक्ति की गिरफ्तारी सम्पन्न किया जाना	3

9	किसी व्यक्ति के पास पहुंचने का तरीका, जामा तलाशी के नियम, हथकड़ियों का प्रयोग कैसे करें	2
10	गिरफ्तारी/ तलाशी मैमो तैयार करना	2
11	निरोधात्मक कार्यवाही के प्रकार एवं अपराध नियन्त्रण में उनका महत्व	3
12	सम्मन तामील करना एवं वारण्ट का निष्पादन करना	2
13	अभियुक्त को सुरक्षित ले जाना एवं न्यायालय में प्रस्तुत करना	2
14	अपेक्षित कागजी कार्यवाही सहित प्रदर्शों की पैकिंग, लेबलिंग व हैण्डलिंग किया जाना	3
15	शव परीक्षण हेतु मृत शरीर को अस्पताल/ मुर्दाघर ले जाना	2
16	कार्यप्रणाली वर्गीकरण (Modus operandi)	2
17	**विवेचना के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति की विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ** **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य** पुलिस इन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा- निर्देश।	2
18	विवेचना में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग- जीपीएस, सीसीटीवी, बॉडी वार्न कैमरा, मोबाइल आदि	2
	योग	**46**

(ग). अभियोजन

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	अभियोजन का तात्पर्य एवं महत्व	2
2	जनपदीय न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायालयों की शक्तियाँ	3
3	अभियोगों की पैरवी में आरक्षी का योगदान, रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया में आरक्षी का योगदान	3
4	पैरोल एवं परिवीक्षा की विधि तथा छूटे हुए व्यक्तियों की निगरानी	2
5	मूट कोर्ट के माध्यम से न्यायालय अभिलेखों व प्रक्रिया की जानकारी	4
	योग	**14**

(घ). पुलिस रेगुलेशन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	**अध्याय – 1 अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य** पैरा 1 से 17	3
2	**अध्याय – 5 उपनिरीक्षक तथा नागरिक पुलिस के अधीनस्थ (अवर या नीचे) अधिकारी** पैरा 43, 44, 61, 62, 63, 64, 65	2
3	**अध्याय – 9 ग्राम पुलिस (ग्राम चौकीदार)** पैरा 89 से 95	2
4	**अध्याय – 10 थाने में की गयी रिपोर्ट** पैरा 97 से 103	3
5	**अध्याय – 12 मृत्यु समीक्षा (पंचायतनामा), मरणोत्तर (मृत्यु के पश्चात) शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों की चिकित्सा** पैरा 129 से 131, 134, 135, 137, 139, 143 से 146	6
6	**अध्याय – 13 गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा** पैरा 147 से 155, 159 से 164	6
7	**अध्याय – 15 विशेष अपराध** पैरा 175 से 178, 181, 184	3
8	**अध्याय – 17 गश्त और नाकाबन्दी** पैरा 190 से 195	2
9	**अध्याय – 19 फरार अपराधी** पैरा 215 से 222	4
10	**अध्याय – 20 बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी** पैरा 223 से 273	4
11	**अध्याय – 22 अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज** पैरा 283 से 300	3
	योग	**38**

(3) तृतीय समूह – पुलिस की भूमिका एवं दायित्व, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार

कालाँश – 210 **पूर्णांक – 125**

(क). सुरक्षा

क्र0सं0	विषय	कालाँश
	(i) सामान्य सुरक्षा	
1	सुरक्षा परिदृश्य का परिचय, आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ	3
2	सन्देहजनक वस्तुओं को पहचानना एवं अनुवर्ती कार्यवाहीं	2
3	संतरी एवं गार्द के कर्तव्य एवं पुलिस थाने व कैम्प की सुरक्षा	4
4	वाहन की तलाशी (बाह्य कक्षीय प्रदर्शन एवं व्यवहारिक प्रयोग के साथ सामन्जस्य सहित), गुजरते हुये वाहनों एवं वस्तुओं का अवलोकन करना (व्याख्यान एवं अवलोकन के अभ्यास)	4
5	अपराधियों के विरूद्ध दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियां - उचित रणकौशल (डैमो सहित)	3
6	**आत्मसुरक्षा -** उपकरण (बी.पी. जैकेट, हैडगेयर आदि), फायरिंग रेंज	2
	(ii) वी.आई.पी. सुरक्षा	
7	वी.आई.पी. सुरक्षा का महत्व व उद्वेश्य	3
8	विभिन्न प्रकार के हमले व उनसे सुरक्षा	4
9	कार्यक्रम स्थल, रास्तों, रूकने के स्थान पर, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक/ एक्स, वाई, जेड सुरक्षा श्रेणियाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य	4
10	प्रवेश नियन्त्रण, एन्टी सैबोटाज चैक, सुरक्षा उपकरणों जैसे डीएफएमडी, एचएचएमडी, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, इन्वर्टिङ मिरर आदि का प्रयोग (हैण्डलिंग) (डैमो सहित)	4
11	कॉनवॉय ड्यूटी	2
12	पी.एस.ओ. ड्यूटी	2
	(iii) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा	
13	महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का महत्व एवं उददेश्य, सुरक्षा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण- सीसीटीवी ड्रोन आदि	4
14	दुश्मन के तौर-तरीकों का ज्ञान	2
15	हवाई अड्डे, वायुयान, रेलवे औद्योगिक, सार्वजनिक महत्व के भवन एवं सीमाएं	3

16	पोस्ट प्रोटेक्शन ड्रिल	2
(iv) विस्फोटकों का परिचय, प्रकार		
17	विस्फोटकों का परिचय प्रकार एवं उनके लक्षणों की पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन) विस्फोटकों को पहचान लेने के पश्चात सावधानियां एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही	4
18	डेटोनेटर, इसके प्रकार एवं पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)	2
19	**नियंत्रण यंत्र विन्यास (कमांड मेकैनिज्म)-** तार,रिमोट कंट्रोल, टाइमर, दबाव, प्रकाश आदि (व्याख्यान प्रदर्शन)	4
20	आत्मघाती हमला/ फिदायीन अटैक	2
	योग	**60**

(ख). लोक व्यवस्था एवं बन्दोबस्त

क्र.सं.	विषय	कालाँश
(i) लोक व्यवस्था		
1	**जन सहभागिता**	
	(i) लोक व्यवस्था निर्माण में आरक्षी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	2
	(ii) लोक व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी, आवश्यकता एवं महत्व	2
2	**आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं अन्य हिंसा**	
	(i) आतंकवादी घटनाओं में पुलिस का उत्तरदायित्व	2
	(ii) सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्यूटी कर्तव्य एवं सावधानियां	2
	(iii) हिंसक आंदोलन, लोक जमाव/ गोष्ठियों, विधि विरुद्ध जमाव (राजनीतिक, जातिगत, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान वर्ग आदि के विवादों) पर नियंत्रण	4
	(iv) औद्योगिक एवं मजदूर वर्ग के विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बंद ,हड़ताल एवं प्रदर्शन) आदि	2
3	**भीड़ प्रबन्धन**	
	(i) भीड़ के प्रकार, मनोविज्ञान व्यवहार	3
	(ii) भीड़ नियंत्रण की रणनीति अधिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता	3
	(iii) विभिन्न प्रकार की भीड़ पर पुलिस व्यवहार विशेषकर उत्तेजित महिलाओं एवं बालकों से बर्ताव	3

4	**पुलिस अनुक्रिया (Police Response)**	
	(i) शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही	2
	(ii) आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 163 BNSS की कार्यवाही	2
	(iii) हिंसक आन्दोलन अथवा जमाव को तितर-बितर करने के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान	3
	(iv) न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धान्त (जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है)	2
	(v) दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान एवं कार्यवाही	2
	(ii) बन्दोबस्त ड्यूटियाँ	
1	**मेला ड्यूटी**	
	(i) मेला क्षेत्रों में कान्स ना0पु0/ सशस्त्र पुलिस एवं पी.ए.सी. की नियुक्ति-कर्तव्य एवं दायित्व	2
	(ii) घुड़सवार अग्निशमन पुलिस, संचार, वॉच टावर	2
	(iii) यातायात, पार्किग इत्यादि की व्यवस्था	2
	(iv) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त ड्यूटी एवं अभिसूचना संकलन हेतु विभिन्न स्रोतों का उपयोग	2
	(v) कुम्भ मेला 2025 के दौरान भगदड़ की केस स्टडी	2
2	**त्यौहार ड्यूटी**	
	(i) त्यौहारों का प्रबन्ध व पुलिस की भूमिका,	2
	(ii) त्यौहारों पर कान्स0 ना0पु0/सशस्त्र पुलिस, पी0ए0सी0 की नियुक्ति-कर्तव्य एवं आचरण,	2
	(iii) संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान सावधानियाँ तथा यातायात व्यवस्था करना	2
	(iv) शान्ति भंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना।	1
3	**चुनाव ड्यूटी**	
	(i) मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना तथा अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना	2
	(ii) बैलेट बॉक्स, वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना	2
	(iii) मतगणना के समय ड्यूटी	1
	(iv) चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी	2
4	**सामान्य ड्यूटी**	

	(i) पिकेट - आवश्यकता, प्रकार एवं गार्द से भिन्नता	2
	(ii) बाजारों में पिकेट व नाकाबन्दी	2
	योग	**62**

(ग). आपदा प्रबन्धन

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका	3
2	बचाव एवं राहत की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, सामान्य तकनीकी, आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरण (रोकथाम और तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्स्थापना), महत्ता, विभिन्न उपकरण, कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व	4
3	आपदा प्रबन्धन की जनपद स्तरीय योजनायें	1
4	आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से समन्वय	1
5	आपदा प्रबन्धन में गैर-सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका	1
6	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System) व आपातकालीन परिचालन प्रबन्धन केन्द्र (Emergency Operation Management Centre) का परिचय	2
7	प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि व बाढ़ राहत कार्य में पुलिस एवं पीएसी की भूमिका	2
8	अन्य आपदायें/ बड़ी दुर्घटनायें - विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व	3
9	सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्य योजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व	2
10	आग की घटनायें-अग्निशमन/ बचाव कार्य हेतु दायित्व- क्या करें, क्या न करें	2
11	गम्भीर दुर्घटनाओं/ आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही	2
12	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act 2005), आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति 2009	3
13	राज्य आपदा मोचन बल (S.D.R.F.) (State Disaster Response Force) द्वारा आपदा प्रबन्धन संबंधी मॉक ड्रिल का डैमो	3
14	केस स्टडी- उत्तराखंड त्रासदी 2013, चेन्नई बाढ़ 2015	3
	योग	**32**

(घ). यातायात प्रबन्धन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	***मोटर वाहन अधिनियम 1988 (M.V. ACT) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध**	1
2	यातायात पुलिस संगठन एवं कार्य/ कर्तव्य	3
3	यातायात नियन्त्रण की युक्तियाँ एवं उपकरण एवं उनका प्रयोग	3
4	सडक सुरक्षा, उ0प्र0 में सडक दुर्घटना के कारण, IRAD एवं ई चालान ऐप	2
5	यातायात चिन्ह एवं संकेत	2
6	यातायात उल्लंघन एवं चालान की प्रकिया	2
7	क्रासिंग पर यातायात विनियमित करना	1
8	दुर्घटना स्थल पर पहरा देना, विधि साक्ष्य जैसे स्किड मार्क्स की सुरक्षा करना और यातायात दिशा परिवर्तन करना	2
9	दुर्घटना पीड़ितों का बचाव, प्राथमिक चिकित्सा देना एवं अस्पताल तक ले जाना	3
10	यातायात जाम के समय कर्तव्य	2
11	वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश/ बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/ अधिकारियों की जानकारी	2
12	कार्यक्रम स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था संबंधी ज्ञान	1
13	छात्र/ छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियाँ	1
14	संदिग्ध व्यक्तियों/ अपराधियों का पीछा करते समय सावधानियाँ	1
	योग	**26**

*** क्र0सं0 01 पर अंकित मोटर वाहन अधिनियम 1988 को षष्टम समूह- विविध अधिनियम के अन्तर्गत भी कालांश आवंटित किए गए हैं। अतः इसे Integrated रुप में पढ़ाना उचित होगा।**

(ङ). पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	रेडियो दूरसंचार प्रणाली का परिचयः क्या करें, क्या न करें	2
2	पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू.एच.एफ. संचार प्रणाली, एच.एफ., पोलनेट	2
3	रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं	2
4	वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, सामान्य खराबियाँ एवं उनका निराकरण	1
5	हैण्ड हेल्ड, स्टैटिक मोबाईल, वायरलैस सेट पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान	2
6	सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली एवं कन्ट्रोल रूम का विस्तृत ज्ञान	2
7	Dial 112 एवं PRV की कार्यपद्धति की जानकारी	2
8	काल साइन का परिचय	1
	योग	**14**

(च). गार्ड ड्यूटी, बन्दी एस्कोर्ट, हवालात ड्यूटी

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	गार्ड एवं एस्कोर्ट रूल्स नियम - नियम संख्या - 7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197	6
2	पुलिस स्टेशन ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, टेलीफोन ड्यूटी, वॉयरलैस ड्यूटी, रिसेप्शन ड्यूटी	3
3	शिकायतों की प्राप्ति, मैसेंजर ड्यूटी, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट	2
4	जाँच तथा सत्यापन के दौरान कथन अंकित करना, कोर्ट सहायक ड्यूटी	2
5	पुलिस स्टेशन पर त्वरित कार्यकारी दल, रजिस्टर और अभिलेखों का रख-रखाव	2
6	वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ड्यूटी (हमराह)	1
	योग	**16**

(4) चतुर्थ समूह – भारतीय संविधान, मानवाधिकार, लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल

कालाँश – 130 **पूर्णांक – 100**

(क). भारतीय संविधान

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	विधि का शासन (Rule of Law)-भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं प्रमुख विशेषतायें	2
2	मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 14, 21, 32, 226	2
3	पुलिस के अधिकारों पर निर्बन्धन – अनुच्छेद 311	1
4	मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51 ए	2
5	संविधान के अनुसार आचरण- क्या करें, क्या न करें	2
6	राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	2
7	निर्वाचन आयोग, पंचायतीराज संस्थायें, स्थानीय निकाय	
8	जनहित याचिका – उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायलय	3
9	मा0 सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार	
	योग	**14**

(ख). मानवाधिकार

क्र.सं.	**विषय**	**कालाँश**
1	**राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग – कार्य एवं शक्तियाँ**	**2**
2	**मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उसका महत्व**	**2**
3	**संवैधानिक प्रावधान व महत्वपूर्ण केस लॉ**	
	(i) महबूब बाचा बनाम राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक 2011(74) एसी0सी0, 600 (एस0सी0) इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभिरक्षा में मौत (Custody death) सभ्य समाज का सबसे घृणित अपराध है। इसे रोका जाना चाहिए तथा देश के सभी राज्यों के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों को अभिरक्षा में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं।	2

	(ii) खेड़त मजदूर चेतन संगठन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए0आई0आर0 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ) पुलिस का कर्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि यातना देना।	2
4	**मानवाधिकार के संरक्षण व संवर्धन में पुलिस की भूमिका**	2
5	**पुलिस उपसंस्कृति (Police Sub- culture)**	
6	(i) वर्षों पुरानी रूढ़ियां (ii) पीडितों से दुर्व्यवहार (iii) भ्रष्टाचार (iv) अवैध निरूद्धि (illegal detention) (v) प्रताड़ना एवं थर्ड डिग्री (vi) पुलिस अभिरक्षा में हिंसा एवं बलात्कार (vii) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु (viii) फर्जी मुठभेड़ (ix) पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग	10
6	मानवाधिकार एवं अपराध पीड़ित परिवार, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।	3
7	**ए- दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642** **बी- जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981** गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।	2
8	**महिला आयोग, अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग**	1
9	**समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका**	2
10	शिकायतकर्ताओं एवं अपराधों के भुक्त भोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शक बिन्दु	3
11	गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के अधिकार एवं हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन। **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099** **सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743**	2

	इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।	
	योग	**33**

(ग). बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	**लैगिंक सवेंदनशीलता से आशय एवं उसका महत्व**	2
2	**पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण व कानूनी दृष्टि से अपेक्षित व्यवहार**	2
3	महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध-पुलिस की भूमिका	2
4	पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस का आचरण एवं व्यवहार	2
5	विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ	2
6	**महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार**	1
7	महिला अभियुक्तों की गिरफतारी के सम्बन्ध में न्यायिक प्राविधान	2
8	**कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिषेध एवं उपचार) अधि 2013**	2
9	पुलिस का ट्रांसजेंडर के प्रति दृष्टिकोण एवं विधिक दृष्टि से अपेक्षित व्यवहार	2
10	**बाल अधिकार संरक्षण एवं सवेंदनशीलता**	
	(क) बालकों के प्रति संवेदनशील व मित्रवत व्यवहार कैसे करें ?	2
	(ख) बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम व नियमावली	
	(i) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005	6
	(ii) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख संरक्षण) अधिनियम 2015	
	(iii) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियम 2016	

	(ग)	रिट याचिका सिविल 473/2005 सम्पूर्ण बेहरूआ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँकः 09.02.2018, बाल अपराधों को रोकने एवं उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	2
	(घ)	"आपरेशन स्माईल" केस स्टडीं	3
		योग	**30**

(घ). पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल

क्र.सं.	विषय	कालाँश
	(i) पुलिस आचरण	
1	**पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता एवं पक्षपात**	
2	पुलिस मनोवृत्ति, जनोन्मुखता, सेवोन्मुखता एवं व्यवसायिकता	2
3	पुलिस छवि एवं इसे सुधारने के तरीके	2
4	सामाजिक संवेदना निर्माण (Empathy and Sympathy)	2
5	पुलिस कार्य में नैतिकता एवं जवाबदेही	2
6	पुलिस का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार	
7	बीट ड्यूटी के समय व अन्य अवसर पर नागरिक/ जनता के साथ व्यवहार।	
8	बुद्धिजीवी, मजिस्ट्रेट, वकील एवं जेल स्टाफ के साथ व्यवहार	
9	पत्रकारों के साथ व्यवहार	
10	छात्रों एवं युवा वर्ग के साथ व्यवहार	
11	गवाहों के साथ व्यवहार	
12	अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार	
13	विवाद के समय व्यवहार	20
14	दुराचारी के साथ व्यवहार	
15	पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार	
16	यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ व्यवहार	
17	मजदूरों के साथ, अपरिपक्व, दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ व्यवहार	
18	पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/ मधुर व्यवहार-आवश्यकता एवं महत्व।	

19	पुलिस का महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार	
20	होमगार्ड एवं ग्राम चौकीदारों के साथ व्यवहार	
21	मृतकों/ अज्ञात शवों के प्रति सम्मान का आचरण	1
22	पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों से संबंध एवं तालमेल	3
23	कम्युनिटी पुलिसिंग (सामुदायिक पुलिसिंग): आवश्यकता, महत्व	
24	लोक व्यवहार की कला (Art of Public Behavior)	2
	(ii) संवाद एवं अन्य कौशल विकास	
1	सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यक्तिगत विकास- सॉफ्ट स्किल्स की परिभाषा एवं महत्व	2
2	Interpersonal Skills	1
3	Emotional Intelligence	1
4	Positive Thinking	1
5	पर्यावरण एवं परिस्थितिक तंत्र के प्रति उत्तरदायित्व, स्वच्छ भारत मिशन	1
6	अवलोकन कौशल (Observation Skill)	8
7	संवाद/ बोलने का कौशल (Oral Communication Skill)	
8	प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल (Motivation & Skill)	
9	श्रवण कौशल (Listening Skill)	
10	लेखन कौशल (Writing Skill)/ पुलिस में सामान्य शब्दावली	
11	समय प्रबन्धन (Time Management)	3
12	तनाव प्रबन्धन (Stress Management)	
13	टीम भावना प्रबन्धन (Team Building Management)	2
	योग	**53**

नोटः - इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है, कि प्रशिक्षु आरक्षियों में सेवोन्मुखी अभिवृत्ति विकसित की जाये। प्रशिक्षण में केस स्टडीज एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया जाये। इसके लिए विशेषज्ञों के द्वारा कैप्सूल कोर्स चलाये जाने चाहिये, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता, जाति व समुदाय के विवाद व पुलिस की भूमिका, स्वास्थ्य, अपराध पीड़ित से व्यवहार, जनता से व्यवहार, एन.जी.ओ. से सम्बन्ध, जेल व न्यायालय का भ्रमण, वृद्धाश्रम भ्रमण/ संवासिनी गृह भ्रमण, बाल-सुधार गृह भ्रमण, अस्पताल/ मोर्चरी भ्रमण हो। इसके अतिरिक्त इस विषय पर निर्गत डीजी परिपत्रों को भी व्याख्यान में सम्मिलित किया जाए।

(5). पंचम समूह – अपराध विधि – भारतीय न्याय संहिता 2023 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

कालाँश – 160 **पूर्णांक – 125**

(क). भारतीय न्याय संहिता 2023

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय, परिभाषा व दण्ड के विषय में – धारा 1, 2, 4	3
2	साधारण अपवाद – धारा 14, 15 एवं 18 से 24 तक	4
3	प्राइवेट रक्षा का अधिकार – धारा 34 से 44 तक	4
4	दुष्प्रेरण, अपराधिक षड़यन्त्र और प्रयास के विषय में – धारा 45, 46, 48, 49, 51 व 61, 62	4
5	महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के विषय में– धारा 63 से 73 तक, धारा 74 से 79 तक	5
6	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता- धारा 80, 82, 84, 85, 86	3
7	गर्भपात कारित करने के विषय में- धारा 88 से 90 तक	1
8	बालक के विरूद्ध अपराधों के विषय में- धारा 95, 96, 98, 99	3
9	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में- धारा 100 से 106 तक, धारा 108 से 113 तक	6
10	उपहति एवं दुर्घटना से संबंधित अपराध- धारा 114 से 118 तक, धारा 120 से 125 तक	3
11	सदोष अवरोध व सदोष परिरोध– धारा 126, 127	1
12	आपराधिक बल और हमला- धारा 128 से 130 तक, धारा 132, 134	3
13	व्यपहरण एवं अपहरण एवं व्यक्तियों का दुर्व्यापार- धारा 87, धारा 137 से 140 तक, धारा 143, 144	3
14	राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में- धारा 149, 152, 157, 158	2
15	सिक्को, करेन्सी, बैंक नोटो और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में- धारा 178 से 182 तक	3
16	लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में– धारा 189(1) से 189(5) तक, धारा 190, 191, 194, 195, 196	3
17	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में– धारा 198, 199, 200, 204, 205, 217, 223, 226	3

18	मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय के विरूद्ध अपराध– धारा 227 से 229, 249, 250, 253, 254, 260 से 263 तक धारा 269	4
19	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में- धारा 270 से 272 तक, धारा 274 से 296 तक	3
20	धर्म से संबंधित अपराध – धारा 298 से 302 तक	2
21	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध- चोरी, उद्दापन, लूट एवं डकैती, धारा 303 से 310, 313 तक	4
22	आपराधिक दुर्विनियोग व आपराधिक न्यासभंग- धारा 314 से 316 तक	3
23	चोरी की सम्पत्ति- धारा 317	2
24	छल- धारा 318, 319	1
25	रिष्टि- धारा 324 से 328 तक	2
26	आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार- धारा 329 से 333 तक	2
27	दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों संबंधी अपराध- धारा 336, 338, 340	2
28	आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ आदि के विषय में - धारा 351, 352, 353, 355	2
	योग	**81**

(ख). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय एवं परिभाषाये- धारा 1, 2	3
2	दण्ड न्यायालयों का गठन- धारा 6, 8, 9, 10, 14	3
3	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता– धारा 30 से 34	3
4	व्यक्ति की गिरफ्तारी– धारा 35 से 45, धारा 47, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 61	6
5	सम्मन– धारा 63 से 71	3
6	वारन्ट की उद्घोषणायें– धारा 72, 73, 74, 76 धारा 84 से 86 तक	4
7	तलाशी से संबंधित साधारण उपबन्ध– धारा 94, 103, 105, 106, 107	3

8	परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति – धारा 125 से 129 तथा 133, 135	3
9	लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाये रखना– धारा 148 से 150 तक	2
10	लोक न्यूसेन्स– धारा 152, 156, 163	2
11	भूमि एवं जल से संबंधित विवाद के संबंध में प्रक्रिया– धारा 164 से 166 तक	2
12	पुलिस का निवारक कार्य– धारा 168 से 170 तक, 172	3
13	पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण की शक्तियाँ- धारा 173, 174, 175, 180, 183, 184, 187, 189, 193, 194, 196	6
14	अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी (क) कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य- धारा 336 (ख) उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जॉच और विचारण- धारा 356 (ग) साक्षी संरक्षण स्कीम- धारा 398 (घ) दया याचिका- धारा 472 (ड़) इलेक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना- धारा 530	6
	योग	**49**

(ग). भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय एवं परिभाषा– धारा 1, 2	3
2	स्वीकृति एवं संस्वीकृति– धारा 15, 22, 23, 24	4
3	मृत्युकालिक कथन– धारा 26	2
4	विशेषज्ञों की राय- धारा 39	1
5	प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य– धारा 56 से 58 तक	3
6	इलेक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख– धारा 61	2
7	लोक दस्तावेज व प्राइवेट दस्तावेज– धारा 74	2
8	स्मृति ताजी करना– धारा 162	1
	योग	**18**

(घ). केस लॉ

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2006 (55) एसीसी 864 सर्वोच्च न्यायालय	2
2	ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य 2014 (84) एसीसी 719(एससी)	2
3	श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर) रिट पिटीशन संख्या 10792/ 2015	2
4	पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2014) 9 एससीसी 129	2
5	शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट याचिका संख्या 17410/ 2011	2
6	महबूब बाचा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (74) एसीसी 600 (एसीसी)	2
	योग	**12**

(6). षष्टम समूह – विविध अधिनियम

कालाँश – 120 **पूर्णांक – 100**

(क). केन्द्रीय विविध अधिनियम

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	पुलिस अधिनियम 1861- महत्वपूर्ण धारायें- धारा 1, 2, 7,23, 29, 30, 30क, 31, 32, 34	4
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966- धारा 2, 3, 4	1
3	आयुध अधिनियम 1959 (यथासंशोधित 2019)- धारा 2 (ख), 2 (ग), 2 (ड़), 2 (च), 2 (ज), 2 (झ), धारा 3, 4, 5, 7, 19, 20, 25, 30, 39 एवं सपठित आयुध नियमावली- 2016	5
4	विस्फोटक अधिनियम 1884- धारा 4, 5, 6, 8, 9 ख, 12,13	2
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908- धारा 2(क), 2(ख), धारा 4, 5	2
6	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988- धारा 2, 7, 8, 9, 13, 19	3
7	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (यथा संशोधित 2015)- धारा 2(क), 2(घ) 2(ड़,ख) धारा 3, 4 एवं नियमावली 1995 के सुसंगत नियम	4
8	विद्युत अधिनियम 2003- धारा 2(21), 2(22), 2(23), धारा 135, 136, 137, 138	2

9	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 1986)- धारा 2 से 8, 8(क)	2
10	स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985- धारा 2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 2(14), 2(15), 2(18) धारा 8, धारा 15 से 22 तक, धारा 27, 50	4
11	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015- धारा 2(10), 2(12), 2(17), 2(18), 2(19), 2(20), 2(42), धारा 4, 10, 27, 75, 77	4
12	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016- नियम 3, 4, 5, 10	3
13	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960- धारा 2(क), 2(ग), 2(घ), 2(च), 2(झ), धारा 11	2
14	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867- धारा 3, 4, 5, 13	2
15	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956- धारा 2 से 10, 13 से 20	3
16	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984- धारा 2, 3, 4, 5, 6	2
17	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2019)- धारा 2(4), 2(5), 2(6), 2(10), 2(14), 2(16), 2(17), 2(19), 2(20), 2(21), 2(25), 2(26), 2(28), 2(37), धारा 2 क, 3, 4, 5, 8, 112, धारा 177 से 179 धारा 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196,197, 200, 207	5
18	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005- धारा 2 से 5 तक, धारा 12, 18, 31, 32	2
19	लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (यथा संशोधित 2019)- धारा 2 से 27, 34, 41 व 42 तक	5
20	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972- धारा 2, 50, 51, 54, 55	2
21	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922- धारा 2, 3, 4, 5	1
22	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980- धारा 2(क), 2(ख), धारा 3, 4, 7, 9, 12, 13	3
23	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016- धारा 2 से 23, धारा 39 से 43, धारा 89 से 94	2
24	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (यथासंशोधित 2008)- धारा 2(ज क), 2(झ), 2(ञ) 2 (ट), 2 (ठ), 2 (ढ क), 2 (ण), 2 (न), धारा 43, धारा 65 से 67 एवं सुसंगत नियम 2021	5

25	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019- धारा 1 से 7	2
26	राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (सम्पूर्ण)	1
27	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019- धारा 2, 3, 18	2
28	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986– धारा 2 से 8	2
29	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम 2013- धारा 2 से 27	4
30	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967– धारा 1 से 3, 15 से 25, 35 से 40, 43 से 46, अनूसूची सहित	5
31	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005- धारा 2 से 11 तक	1
32	रेल अधिनियम 1989- धारा 137 से 142, 144 से 147, 150 से 157, 159 से 167, 172 से 179 तक	1
33	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951- धारा 2, धारा 125 से 136 तक	1
34	बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम 2006- धारा 2, 9 से 13, 15, 16, 20, 21	1
	योग	**90**

(ख). राज्य के अधिनियम

क्र.सं.	**विषय**	**कालाँश**
1	उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021- (यथासंशोधित 2024)- धारा 2 से 7 तक	3
2	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (यथासंशोधित 2015)- धारा 2, 3,4,14 से 19, व उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) नियमावली 2021- नियम 2, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27 व अध्याय 5, 6 के सुसंगत नियम	5
3	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970- धारा 2, 3, 4, 5, 10, 11 व उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970 (सुसंगत नियम)	3
4	उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (यथा संशोधित 2017)- धारा 3(6), 3(8), 3(9), 3(10), 3(11), 3(12), 3(13), धारा 48, 54, 55, 59, 60, 60 क, 61, 62	4

5	उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 (यथासंशोधित 2020)- धारा 2 (क), 2 (ख), 2 (घ), धारा 3, 5, 5 क, 5 ख, 8	5
6	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976- धारा 2, 4, 10, 12, 13	2
7	उत्तर प्रदेश विद्युत तार एवं ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण तथा दण्ड) अधिनियम 1976- धारा 1, 3, 5, 6	2
8	सराय अधिनियम 1867- धारा 2 से 9, 11 से 14 सपठित उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) नियमावली 2023- नियम 2, 5 से 8	3
9	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006- धारा 63, 64, 65, 129	1
	योग	**28**

(ग). केस लॉ

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	गौरी मौलेखी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य याचिका संख्या 881/ 2014, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश	2
	योग	**2**

(7). सप्तम समूह – कम्प्यूटर, सी.सी.टी.एन.एस (CCTNS) एवं साइबर क्राइम

कालाँश – 140 **पूर्णांक – 100**

(क). कम्प्यूटर साइंस

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता	2
2	कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय - सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	2
3	डाटा स्टोरेज उपकरण जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मल्टी-फंक्शनल प्रिंटर आदि	2
4	आपरेटिंग सिस्टम (Operating System) • ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता • विण्डोज का परिचय • शेयर फोल्डर की अवधारणा	4
5	(i) इन्टरनेट का उपयोग - वेब सर्फिंग , ट्रवलशूटिंग टिप्स- कम्प्यूटर और नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ii) बायोमेट्रिक्स का विज्ञान (iii) पुलिस के लिए ड्रोन, बॉडी कैमरा का उपयोग (iv) ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकोगनिशन सिस्टम	4
6	इंटरनेट- टी0सी0पी0/ आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्कीम	2
7	डिजीटल सिग्नेचर/ ई- सिग्नेचर	1
8	एम.एस. ऑफिस का व्यवहारिक परिचय	2
	एमएस वर्ड में फाईल बनाना, एडिटिंग करना, इन्सर्ट एवं फोरमेट कमांड, फोन्ट सेटिंग एवं प्रिन्टिंग करना	3
	एमएस एक्सेल पर कार्य करना, विभिन्न प्रकार के फंक्शन एवं फॉर्मूलों का ज्ञान कराना	3
	पावर प्वाइंट में फाईल बनाना एवं स्लाइड्स बनाना, एडिटिंग करना, हाइपर लिंक डालना	3
9	कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं स्कैच बनाना	2
10	ईमेल एकाउंट बनाना, ई-मेल भेजना/ प्राप्त करना/ फाइल डाउनलोड करना	2
11	कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फोरेन्सिक्स - सामान्य जानकारी	2

12	इलेक्ट्रानिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, गूगल मैपिंग (सामान्य परिचय), गूगल अर्थ पर दिए गए निर्देशांक (Coordiates) के आधार पर स्थानों का चिन्हांकन, जीपीएस में Coordinates के द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचना	4
	योग	**38**

(ख). सी.सी.टी.एन.एस. एवं मोबाइल एप्स

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	सी0सी0टी0एन0एस0 का तात्पर्य एवं अपराध नियन्त्रण में उपयोगिता	2
2	रजिस्ट्रेशन माड्यूल (Registration Module)	10
	a. कम्पलेंट रजिस्ट्रेशन (Complaint Registration)	
	b. मिसिंग पर्सन (Missing Person)	
	c. मिसिंग कैटिल रजिस्ट्रेशन (Missing Cattle Registration)	
	d. अनआईडैन्टिफाईड डैड बॉडी (Unidentified Dead Body)	
	e. अनक्लेम्ड अबैन्डन्ड् प्रापर्टी (Unclaimed abandoned property)	
3	जी0डी0 रजिस्ट्रेशन (GD Registration)	2
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)- IIF1	2
5	(i) गैर संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) (ii) अपराध विवरण– IIF2 (iii) गिरफ्तार/ आत्मसमर्पण– IIF3 (iv) जमानत विवरण (v) सम्पत्ति जब्ती– IIF4 (vi) अंतिम प्रपत्र– IIF5 (vii) उद्घोषित अपराधी	8
6	डाटा बैंक मॉड्यूल (Data Bank Module)	2
	व्हीकल थैफ्ट (Vehicle Theft)	2
7	पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/साफ्टवेयर/ एप्लीकेशन-	
	Heinous crime monitoring system	2
	गुमशुदा व्यक्ति (Missing Persons)	1
	गुमशुदा बच्चों की तलाश (Track the Missing child)	1
	लावारिस शव (Unidentified Bodies)	1

	चुराये गये वाहनों की खोज Stolen Vehicle Query (NCRB)	1
8	सिटीजन सर्विस माड्यूल (Citizen Services Module)	3
9	UPCOP, TRINETRA, iRAD, NAFIS, PRAHARI, E-PRISONS, KAVACH, ई-साक्ष्य, ICJS, SSO, ITSSO	11
10	ई-चालान और हैंडलिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी- सरकारी वेबसाइट और परिवहन ऐप के बारे में ज्ञान	2
	योग	**50**

(ग). साइबर क्राइम

क्र.सं.	**विषय**	**कालाँश**
1	साइबर संबंधी अपराध, प्रकृति एवं प्रकार – (i) साइबर उत्पीड़न (ii) साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग (iii) साइबर धोखाधड़ी (OTP फ्रॉड, डिलीवरी फ्रॉड, डिजिटल पेंमैंट फ्रॉड) और पहचान की चोरी (iv) मालवेयर (वायरस, वॉर्म्स आदि), सलामी अटैक (v) फिशिंग/ विशिंग (vi) साइबर आतंकवाद/ वायोलेंट एक्सट्रीमिज्म (vii) हैकिंग (viii) तस्करी (ix) चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सटार्शन, रिवेंज पोर्नोग्राफी (x) डिजिटल अरेस्ट	6
2	साइबर अपराधों की जांच का बेसिक ज्ञान, आई.पी. एड्रेस को ट्रैक करना/ मैक एड्रेस/ पंजीकृत मोबाइल नम्बर	2
3	साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर टूल्स/ डिजिटल उपकरणों का बुनियादी ज्ञान, डिजिटल साक्ष्य को समझना, उसका संकलन (Seizure) एवं उसे सुरक्षित रखना एवं SOP, मोबाइल फोन/ स्मार्ट डिवाइस/ कम्प्यूटर की तलाशी, जब्ती	3
4	ऑनलाइन डिजिटल साक्ष्य के संग्रह के लिए उपकरण और ओपन सोर्स टूल्स के बारे में जानकारी	2
5	इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का अभियोजन में महत्व एवं संकलन की विधि	2
6	साइबर सुरक्षा का तात्पर्य एवं सामान्य विधियाँ	2

7	साइबर हैल्प डैस्क एवं साइबर थाने की भूमिका एवं उपयोगिता, साइबर क्राइम पोर्टल एवं हेल्पलाईन 1930 की जानकारी	2
8	सी0सी0टी0वी0 कैमरों के प्रकार एवं पुलिस में उपयोगिता	2
9	उ0प्र0 पुलिस वेबसाइट, सोशल मीडिया सैल- एक परिचय	1
10	पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं ड्रोन कैमरे की जानकारी	2
11	सोशल मीडिया- X (ट्विटर), वाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक आदि	2
12	सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के उपाय	2
13	डीप/ डार्क वेब, टोर- डार्क वेब, संगठित अपराध, डिजिटल करेंसी (बिटकोइन)/ क्रिप्टोकरेंसी, IoT (इन्टरनेट ऑफ थिंग्स)	3
14	इलेक्ट्रानिक सर्विलान्स – (i) प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर (ii) इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण (iii) कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना (iv) संदिग्धों/ अपराधियों की स्थिति का पता लगाना (v) फोन टेपिंग- मोबाइल पर संदिग्धों/ अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना (vi) विभिन्न अपराधों/ घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलाँस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।	8
15	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (यथा संशोधित 2008) सामान्य परिचय	1
	योग	**40**

(घ). कम्प्यूटर (प्रयोगात्मक)

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	एम.एस. वर्ड (MS Word) में फाईल बनाकर एडिटिंग करना	3
2	एम.एस. एक्सेल (MS Excel) में फाईल बनाकर विभिन्न प्रकार के फार्मूलों का प्रयोग करना व वर्कबुक पृष्ठ पर फार्मेट आदि करना	3
3	पावर प्वॉइन्ट (Power Point) में स्लाइड बनाकर एनिमेशन व हाइपरलिंक बनाना	3
4	सीडीआर को एक्सेल में बनाकर उसके डाटा को Analyze करना यथा IMEI/ नम्बर/ Cell Id के अनुसार	3
	योग	**12**

(8). अष्टम समूह – विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार

कालाँश – 120 **पूर्णांक – 75**

(क). विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस)

क्र.सं.	विषय	कालाँश
1	विधि विज्ञान की परिभाषा व उसके लाभ	2
2	वादों की विवेचना में विधि विज्ञान का महत्व	2
3	भौतिक साक्ष्य के सम्बन्ध में लोकार्डो का सिद्धान्त एवं उसका महत्व	2
4	अपराध के घटनास्थल को सुरक्षित रखना, वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी करना	3
5	भौतिक साक्ष्यों का स्रोत प्रकार व पहचान, एकत्रण, घटनास्थल से विभिन्न पदार्थों का उठाना, पैक करना, संरक्षित करना	3
6	सूरा, एल्कोहल, टोडी, स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ की सामान्य जानकारी	2
7	जहरखुरानी के अपराधों में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयाँ	2
8	डी0एन0ए0 प्रोफाइल का तात्पर्य, स्रोत, तकनीक एवं उसका महत्व	3
9	अंगुल चिन्हों का वर्गीकरण, स्रोत, अदृश्य अंगुल चिन्हों को विकसित करना व उठाना, संग्रहण, फोटोग्राफी, महत्व, (AFIS- ऑटोमैटिक फिंगरप्रिन्ट आइडैन्टिफिकेशन सिस्टम) (व्याख्यान प्रदर्शन)/ प्रयोगात्मक	2
10	टूल चिन्ह, प्रकार, स्त्रोत, तुलना का सिद्धान्त (Principle of Comparison) व आधार। लकड़ी, प्लास्टिक एवं त्वचा से मिटाये चिन्हों को पुनः प्राप्त करना(व्याख्यान प्रदर्शन)/ प्रयोगात्मक	3
11	बैलिस्टिक का परिचय, वर्गीकरण, रेंज, फायर आर्म्स के तत्व एवं उनका एम्यूनिशन, शूटर तथा फायर आर्म्स की पहचान, दिशा, समय, केस से सम्बन्धित साक्ष्य, IBIS (Integrated Ballistic Identification System)	2
12	फॉरेन्सिक लाईट, प्रकार, प्रयोग एवं महत्व (Ultra violet, Visible, Infrared)	2
13	व्यवहारिक फॉरेन्सिक- नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिग, पॉलीग्राफ, बहुस्तरीय आवाज विश्लेषण (Layered voice analysis)	2
	योग	**30**

(ख). विधि चिकित्सा शास्त्र (फोरेन्सिक मेडिसिन)

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	विधि चिकित्सा शास्त्र का परिचय एवं पुलिस के लिए महत्व	3
2	मेडिको लीगल दृष्टि से घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण	3
3	शारीरिक लक्षणों से व्यक्ति की पहचान, आयु निर्धारित करने की विधि	3
4	चोटों के प्रकार - आग्नेयास्त्र, तीव्र धारदार अथवा नुकीले हथियार, बाइट मार्क (Bite Mark) विस्फोट, दाह, द्रवदाह एवं यन्त्र द्वारा	3
5	मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान, मृत्यु के समय का निर्धारण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान	3
6	जमीन में दबे मृतकों को निकलवाना	2
7	विधि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण- हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक मृत्यु) दम घुटने से मृत्यु, डूबकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वासरोध (थ्रोटलिंग), फाँसी लगाकर मृत्यु (हैंगिंग)	5
8	हड्डी तथा कंकाल के परीक्षण से पहचान एवं आयु का निर्धारण	2
9	मृत शरीर का मोरचरी तक परिवहन, शव परीक्षा व चिकित्सीय परीक्षण कराने में आरक्षी की भूमिका	2
10	शव परीक्षा-बाल, विसरा आदि के नमूनों को सुरक्षित रखना	2
11	मेडिको लीगल रिपोर्ट एवं पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सामान्य जानकारी	2
12	मेडिको लीगल दृष्टि से यौन अपराधों (बलात्कार/ अप्राकृतिक यौन क्रिया) इत्यादि का ज्ञान	2
13	फॉरेन्सिक मानवमिति (Forensic Anthrophometry)	2
	योग	**34**

(ग). प्राथमिक उपचार

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ तथा विभिन्न प्रकार एवं संसाधन	2
2	प्राथमिक चिकित्सा के 9 सुनहरे नियम	2
3	घायल होने, साँप काटने, महामारी फैलने एवं आपदा के समय प्राथमिक सहायता	2
4	शरीर पर आई खुली चोटों, घाव, रगड़, नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करना	2
5	घायलों को उठाने एवं स्ट्रेचर न होने की दशा में ले जाना	2
6	हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार	1
7	जहर खाने, जलने/ झुलसने एवं दौरा पड़ने की दशा में प्राथमिक उपचार	2
8	ABC (A- Airway नलिका की जाँच, B- Breathing श्वांस की जाँच, C- Circutation रक्त संचार की जाँच) का नियम व CPR	3
9	जल में डूबने एवं फाँसी लगने पर कृत्रिम श्वांस (C.P.R.) दिया जाना	2
10	दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)	2
	योग	**20**

(घ). व्यवहारिक (प्रयोगात्मक)

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	घटनास्थल को संरक्षित करना व घटनास्थल की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी करना	4
2	पदचिन्ह उठाना (कास्टिंग)	2
3	क्राइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जाँचें किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान यथा- रक्त, मादक पदार्थ/ द्रव्य, फिंगर प्रिन्ट, हस्तलेख इत्यादि	4
4	ड्रग डिटेक्शन किट से मादक पदार्थों की पहचान	2
5	घटना स्थल से अव्यक्त अंगुल चिन्हों का उठाना एवं विकसित करना	2

6	घटना स्थल से प्राप्त विभिन्न प्रदर्शों का निरीक्षण, उठाना एवं पैक करना	4
7	विभिन्न प्रकार के जले एवं कटे-फटे अभिलेखों को उठाना एवं पैक करना	2
8	विभिन्न प्रकार के विषों का वर्गीकरण एवं उनकी पहचान	2
9	नकली नोटों व अन्य वस्तुओं की पहचान	2
10	विभिन्न प्रकार के चिन्ह-टायर मार्क, घिसटने के निशान आदि	2
11	शरीर पर आई खुली चोटों, घाव, रगड़, नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करने का प्राथमिक उपचार	2
12	घायलों को उठाने एवं स्ट्रेचर न होने की दशा में ले जाने का प्राथमिक उपचार	2
13	हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार	2
14	जल में डूबने एवं फाँसी लगने पर कृत्रिम श्वांस (C.P.R.) दिया जाना	2
15	जहर खाने, जलने, दौरा पड़ने की दशा में प्राथमिक उपचार	2
	योग	**36**

नोट- उपरोक्त समूह के खण्डों- यथा विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र एवं प्राथमिक उपचार के अन्तर्गत दिए गए कतिपय विषयों में व्याख्यान प्रदर्शन के साथ-साथ खण्ड (घ) में निर्धारित किए गए प्रयोगात्मक कालांशों को Integrated रूप से पढ़ाया जाए ताकि प्रशिक्षु को समझने में अधिक आसानी हो।

(ब) बाह्य विषय

(1). प्रथम समूह – शारीरिक प्रशिक्षण

कालाँश – 120 **पूर्णांक – 100**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णांकों का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	कालाँश	पूर्णांक
1.	शारीरिक दक्षता परीक्षा	34	32
2.	बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट	26	26
3.	क्रिकेट बॉल थ्रो	06	06
4.	दण्ड	12	08
5.	दौड़ 400 मीटर	12	10
6.	पी0टी0	30	18
योग		**120**	**100**

(क). शारीरिक दक्षता परीक्षा

(पुरूषों हेतु)

कालाँश – 34 **पूर्णांक – 32**

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	2.4 कि.मी. दौड़	10 मिनट	11 मिनट	12 मिनट	06	04	03	50%
2	10 कि.मी. क्रॉस कन्ट्री दौड़	45 मिनट	55 मिनट	65 मिनट	08	06	04	50%
3	बीम (चिन-अप)	09 या अधिक	06-08	04-05	06	04	03	50%
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स (01 मिनट में)	40 या अधिक	33-39	28-32	06	04	03	50%
5	5 मीटर शटल (1 मिनट में) / यो-यो टेस्ट	16 या अधिक	15	14	06	04	03	50%

टिप्पणीः-

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक पी0टी0 ड्रेस होगी।
2. जो प्रशिक्षु एक इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इवेन्ट में पुनः सम्मिलित होगा।
3. जो प्रशिक्षु दो इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा, और अन्तिम परीक्षा में पुनः पूरे इवेन्ट्स में सम्मिलित होगा।

(महिलाओं हेतु)

कालाँश – 34 **पूर्णांक – 32**

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	2.4 कि.मी. दौड़	12 मिनट	12:30 मिनट	13 मिनट	06	05	03	50 %
2	10 कि.मी. क्रॉस कन्ट्री दौड़	55 मिनट	65 मिनट	75 मिनट	08	06	04	50 %
3	बीम (चिन-अप)	06 या अधिक	05	04	06	05	03	50 %
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स (01 मिनट में)	32 या अधिक	25-31	22-24	06	05	03	50 %
5	5 मीटर शटल (1 मिनट में) / यो-यो टेस्ट	14 या अधिक	13	12	06	05	03	50 %

टिप्पणी-

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक पी0टी0 ड्रेस होगी।
2. महिला प्रशिक्षु को आवश्यकतानुसार बीम के स्थान पर समानान्तर बार (Horizontal Bar) पर चिन-अप करना अनुमान्य होगा।
3. जो महिला प्रशिक्षु एक इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, अन्तिम परीक्षा में उस इवेन्ट में पुनः सम्मिलित होगी।
4. जो महिला प्रशिक्षु दो इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानी जायेगी, और अन्तिम परीक्षा में पुनः पूरे इवेन्ट्स में सम्मिलित होगी।

(ख). बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (BPET)

पुरुषों हेतु समय

कालाँश – 26 **पूर्णांक – 26**

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा				अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	अनुत्तीर्ण	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	5 कि.मी. दौड़	25 मिनट	27 मिनट	28 मिनट	28 मिनट से अधिक	08	06	04	न्यूनतम 50 %
2	60 मीटर तीव्र दौड़	9 सैकेण्ड	10 सैकेण्ड	11 सैकेण्ड	11 सैकेण्ड से अधिक	08	06	04	50 %
3	9 फीट गड्ढा (मय 2.5 फीट पानी)	पूर्णतः पार करना				4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	पूर्णतः पार करना				4 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्णतः चढ़ना				2 अंक			तदैव

नोटः-

1. परीक्षा के दौरान परिधान वर्किंग यूनीफार्म रहेगी जिसपर प्रशिक्षु बैकपैक, (जिसमें मच्छरदानी, ग्राउण्ड शीट, पानी की बोतल आदि कुल मिलाकर 2.5 कि0ग्रा0 वजन) एवं राइफल व मैगजीन पाऊंच सहित धारण करेगा।
2. प्रशिक्षु को बी.पी.ई.टी. के सभी इवेन्ट्स पास करने हैं, यदि वह एक इवेन्ट में भी अनुत्तीर्ण होता है तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी.पी.ई.टी. के सभी इवेन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा।

महिलाओं हेतु समय

कालाँश – 26 **पूर्णांक –26**

क्र. सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा				अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	अनुत्तीर्ण	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	5 कि.मी. दौड़	28:30 मिनट	30:30 मिनट	31:30 मिनट	31:30 मिनट से अधिक	08	06	04	न्यूनतम 50 %
2	60 मीटर तीव्र दौड़	11 सैकेण्ड	12 सैकेण्ड	13 सैकेण्ड	13 सैकेण्ड से अधिक	08	06	04	न्यूनतम 50 %
3	6 फीट गड्ढा (पानी सहित)	पूर्णतः पार करना			-	4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	पूर्णतः पार करना			-	4 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्णतः चढ़ना			-	2 अंक			तदैव

नोट- 1. परीक्षा के दौरान परिधान वर्किंग यूनीफार्म रहेगी जिसपर प्रशिक्षु बैकपैक, (जिसमें मच्छरदानी, ग्राउण्ड शीट पानी की बोतल आदि कुल मिलाकर 2.5 कि0ग्रा0 वजन) एवं राइफल व मैगजीन पाऊंच सहित धारण करेगी।

2. महिला प्रशिक्षु को बी.पी.ई.टी. के सभी इवेन्ट्स पास करने हैं, यदि वह एक इवेन्ट में भी अनुत्तीर्ण होती है तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी.पी.ई.टी. के सभी इवेन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा।

(ग). क्रिकेट बॉल थ्रो

कालाँश – 06 **पूर्णांक – 06**

पुरूष			महिला		
क्र.सं.	**दूरी (थ्रो)**	**अंक**	**क्र.सं.**	**दूरी**	**अंक**
1	60 मीटर	6	1	30 मीटर	6
2	50 मीटर	5	2	25 मीटर	5
3	40 मीटर	4	3	20 मीटर	4
4	35 मीटर	3	4	15 मीटर	3
5	30 मीटर	2	5	10 मीटर	2
6	30 मीटर से कम	0	6	10 मीटर से कम	0

(घ). दण्ड (Push-ups)

कालाँश – 12 **पूर्णांक – 08**

पुरूष			महिला		
क्र.सं.	**विषय**	**अंक**	**क्र.सं.**	**विषय**	**अंक**
1	01 मिनट में 40 या अधिक	8	1	01 मिनट में 28 या अधिक	8
2	01 मिनट में 32-39	6	2	01 मिनट में 23-27	6
3	01 मिनट में 24-31	4	3	01 मिनट में 18-22	4
4	01 मिनट में 16-23	2	4	01 मिनट में 12-17	2
5	01 मिनट में 12-15	1	5	01 मिनट में 09-11	1
6	01 मिनट में 12 से कम	0	6	01 मिनट में 09 से कम	0

नोट-

महिला प्रशिक्षु द्वारा दण्ड करते समय घुटने मोड़कर उन्हें जमीन से छूने (Bent Knee) की अनुमति होगी।

(ड़). दौड़ 400 मीटर

कालाँश – 12 **पूर्णांक – 10**

पुरूष 400 मीटर			महिला 400 मीटर		
क्र.सं.	**विषय (मिनट : सैकण्ड)**	**अंक**	**क्र.सं.**	**विषय (मिनट : सैकण्ड)**	**अंक**
1	01:05 तक	10	1	01:15 तक	10
2	01:06 से अधिक समय से 01:10 तक	08	2	01:16 से अधिक समय से 01:20 तक	08
3	01:11 से अधिक समय से 01:15 तक	06	3	01:21 से अधिक समय से 01:25 तक	06
4	01:16 से अधिक समय से 01:20 तक	04	4	01:26 से अधिक समय से 01:30 तक	04
5	01:21 से अधिक समय से 01:25 तक	03	5	01:31 से अधिक समय से 01:35 तक	03
6	01:26 से अधिक समय से 01:30 तक	02	6	01:36 से अधिक समय से 01:40 तक	02
7	01:31 से अधिक समय से 01:35 तक	01	7	01:41 से अधिक समय से 01:45 तक	01
8	01:35 से अधिक	0	8	01:45 से अधिक	0

(च). पी0टी0

कालाँश – 30 **पूर्णांक – 18**

पुरुष							महिला						
क्र.सं.	**विषय**	**अंक**					**क्र.सं**	**विषय**	**अंक**				
1	**पी0टी0 एक्सरसाइज**	**5**					**1**	**पी0टी0 एक्सरसाइज**	**5**				
2	**कमाण्ड लीडर शिप**	**4**					**2**	**कमाण्ड लीडर शिप**	**4**				
3	**प्लैंक (Plank)**	**04 मिनट या अधिक**	**03 मिनट से लेकर 04 मिनट से कम**	**02:30 मिनट से लेकर 03 मिनट से**	**02 मिनट से लेकर 2:30 मिनट से कम**	**02 मिनट से कम**	**3**	**प्लैंक (Plank)**	**02:30 मिनट या अधिक**	**02 मिनट से लेकर 2:30 मिनट से**	**01:30 मिनट से लेकर 02 मिनट से**	**01 मिनट से लेकर 1:30 मिनट से**	**01 मिनट से कम**
		04	**03**	**02**	**01**	**0**			**04**	**03**	**02**	**01**	**0**
4	**रस्सा**	**5**					**4**	**रस्सा**	**5**				
	योग	**18**						**योग**	**18**				

रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का वर्गीकरण

क्र.सं.	विवरण	पुरुष-अंक	महिला-अंक
1	प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	5	-
2	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	4	-
3	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	3	5

नोटः-

1. वॉलबार्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, किन्तु इसकी परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।
2. प्लैंक के अन्तर्गत प्रशिक्षु द्वारा अपने शरीर के केवल हथेली से कोहनी के भाग को जमीन पर टिकाते हुए बाकी शरीर को जमीन के समानान्तर रखा जाएगा।
3. महिला प्रशिक्षुओं के लिए तृतीय श्रेणी का रस्सा निर्धारित है। पूर्ण रूप से चढ़ने पर पूरे अंक दिये जायेंगें।

(2) द्वितीय समूह – पदाति प्रशिक्षण (Foot Drill)

कालाँश – 140 **पूर्णांक – 75**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	कालाँश	पूर्णांक
1.	टर्न आउट	-	06
2.	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)	50	20
3.	शस्त्र ड्रिल/ राइफल एक्सरसाइज	54	20
4.	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	10	06
5.	गार्द माउंटिंग	04	06
6.	केन ड्रिल	04	04
7.	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	10	07
8.	ई0ओ0डी0	08	06
	योग	**140**	**75**

(क). टर्न आउट

टर्न आउट हेतु कोई अलग से कालांश नहीं दिया गया है यह प्रशिक्षण के समय ही प्रशिक्षक द्वारा बताया जाता है। अन्तिम परीक्षा में इसके 06 अंक होगें।

(ख). स्क्वाड ड्रिल (शस्त्र रहित) एवं कमाण्ड लीडरशिप

कालांश – 50 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	सावधान-विश्राम, आराम से	2
2	मुड़ना, आधा मुड़ना	2
3	साइजिंग, गिनती करना, तीन लाइन में फालइन होना, सजना	3
4	खुली लाइन, निकट लाइन	2
5	खड़े-खड़े मुड़ना	1
6	विसर्जन, बाहर निकलना	2
7	परेड पर फाल-इन होना, कदम की दूरी, समय	2
8	स्क्वाड में अन्तर से फाल-इन होना	1
9	तेज चाल में मार्च करना व रूकना	2

10	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना	2
11	धीरी चाल में चलना व थम	2
12	घूमना, मुड़ना धीरी चाल में	2
13	धीरी चाल में कदम ताल व थम	2
14	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम	2
15	तेज चाल व धीरी चाल में कदम बदलना	2
16	दौड़ चाल में चलना, कदम ताल व रूकना	2
17	धीरी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना	1
18	धीरी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना	1
19	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना (धीरी चाल में)	2
20	थम कर दिशा बदलना चलते चलते दिशा बदलना (तेज चाल में)	2
21	थम कर स्क्वाड बनाना, चलते चलते स्क्वाड बनाना (धीरी चाल में)	2
22	चलते हुए तेज चाल में स्क्वाड बनाना	1
23	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना	2
24	तीन लाइन से दो लाइन बनाना, दो लाइन से तीन लाइन बनाना	2
25	धीरी चाल में मार्च करना व मुड़ना	2
26	तेज चाल में चलना व मुड़ना, घूमना व मुड़ना	1
27	थम कर सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
28	दाहिने व बांए का सेल्यूट	1
29	दाहिने देख, बांए देख बिना टोपी व सादे वस्त्र में	1
	योग	**50**

(ग). शस्त्र ड्रिल

कालांश – 54 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	**विषय**	**कालांश**
1	बाजू शस्त्र से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
2	बगल शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र	2
3	भूमि शस्त्र, उठा शस्त्र	1
4	बाजू शस्त्र से बायें शस्त्र, बाएं शस्त्र से बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र से बाएं शस्त्र, बाएं शस्त्र से बगल शस्त्र	2
5	निरीक्षण को बाएं शस्त्र, बोल्ट चला	2

6	बाएं शस्त्र से जांच शस्त्र, जांच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जांच शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
7	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
8	तौल शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से तौल शस्त्र	2
9	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
10	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
11	सिलिंग कसना व सिलिंग ढीली करना	1
12	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र, बाजू शस्त्र से ऊंचा बांये शस्त्र	2
13	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र	1
14	सावधान, विश्राम, आराम से, राइफल के साथ	1
15	मुड़ना व आधा मुड़ना राइफल के साथ	1
16	बाजू शस्त्र व बगल शस्त्र की दशा में सजना	1
17	सजना, बायें सज, दाहिने सज, मध्य सज	1
18	खड़े हुए सेल्यूट, सामने का सेल्यूट, चलते चलते सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	2
19	राइफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाँए का सेल्यूट	2
20	राइफल के साथ तेज चाल में मार्च	2
21	राइफल के साथ धीरी चाल में मार्च	2
22	धीरी चाल व तेज चाल में मुड़ना	1
23	राइफल के साथ मार्चिंग, धीरी चाल व तेज चाल में थम बनाना	2
24	धीरी चाल व तेज चाल में राइफल के साथ मुड़ना व घूमना	1
25	राइफल के साथ धीरी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम से मार्च करना	2
26	स्वस्थान, लाइन तोड़, लाइन बन	1
27	थम कर दिशा बदलना (धीरी चाल व तेज चाल में)	1
28	थम कर स्क्वाड बनाना (धीरी चाल व तेज चाल में)	1
29	धीरी चाल, तेज चाल व दौड़ चाल में खुलना	1
30	राइफल के साथ सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट व दाहिने बायें का सेल्यूट	1
31	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम	1
32	स्क्वाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना, वापिस स्कवाड बनाना, तीनों तीन से फाइल में राइफल सहित खुलना व तीनों तीन बनाना	3
33	स्क्वाड ड्रिल और कमाण्ड	3
34	कम्पनी ड्रिल और प्लाटून ड्रिल	3
	योग	**54**

नोटः- इन कालांशों का मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं में उचित प्रतिष्ठा, अनुशासन और साइको मोटर कुशलता विकसित करना है।

(घ). रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द

कालांश – 10 **पूर्णांक - 06**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	रैतिक परेड व सम्मान गार्द का ज्ञान व कमाण्ड करने का अभ्यास	8
2	गार्ड ऑफ ऑनर	2
	योग	**10**

(ङ). गार्द माउंटिंग

कालांश – 04 **पूर्णांक - 06**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गार्द माउंटिंग	2
2	क्वार्टर गार्ड की कार्य पद्धति	2
	योग	**04**

(च). केन ड्रिल

कालांश – 04 **पूर्णांक - 04**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	केन ड्रिल	4
	योग	**04**

(छ). हर्ष फायर एवं शोक कवायद

कालांश – 10 **पूर्णांक - 07**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	हर्ष फायर- कार्यविधि और कमान- खड़े पर, पेश कर, शुरु कर, खाली कर व परेड पर जयनाद की कार्यवाही की जानकारी	4
2	सलामी शस्त्र से उल्टा शस्त्र, उल्टा शस्त्र से सलामी शस्त्र, उल्टा शस्त्र से बगल शस्त्र	2
3	सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र , शोक शस्त्र से सलामी शस्त्र, शोक शस्त्र से उल्टा शस्त्र और उल्टा शस्त्र से शोक शस्त्र	2
4	उल्टा शस्त्र से तोल शस्त्र और तौल शस्त्र से उल्टा शस्त्र, तौल शस्त्र से बगल शस्त्र	2
	योग	**10**

(ज). ई0ओ0डी0

कालांश – 08 **पूर्णांक - 06**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	ई0ओ0डी0	8
	योग	**08**

(3). तृतीय समूह – शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)

कालाँश – 70 **पूर्णांक – 70**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालाँश	पूर्णांक
1.	शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त	40	30
2.	शस्त्र फायरिंग	30	40
	योग	**70**	**70**

(क). शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त

कालांश – 40 **पूर्णांक - 30**

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	5.56 एम.एम. इन्सास	4	4
2	7.62 एम.एम. एस.एल.आर.	4	4
3	9 एम.एम. कार्बाइन	4	3
4	एके-47/ AKM	4	3
5	9 एम.एम. पिस्टल .38 रिवाल्वर	4	3
6	5.56 एम.एम. इन्सास एल.एम.जी./ 7.62 एम.एम. एस.एल.आर एल.एम.जी.	5	2
7	जी.एफ. राइफल	2	2
8	आई.ई.डी. बूबी ट्रैप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियां पहचान तथा निष्क्रिय करना	5	4
9	पी.एम.एफ.	1	1
10	36 एच.ई. ग्रेनेड	2	1
11	ग्लॉक पिस्टल, एम.पी. 5 (डेमो)	3	2
12	देसी असलहों का ज्ञान (डेमो)	2	1
	योग	**40**	**30**

(ख). शस्त्र फायरिंग

कालांश – 30 **पूर्णांक - 40**

क्र.सं.	शस्त्र	संख्या एम्युनेशन	पूर्णांक
1	5.56 एम.एम. इन्सास राइफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	08
2	7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	08
3	9 एम.एम. कार्बाइन (कंधे से शिस्त लेकर, बैटल क्राउच, पोजीशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	08
4	एके-47/ AKM (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	04
5	9 एम.एम. पिस्टल/ .38 रिवाल्वर (ग्रुपिंग, अटैक)	5+5 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	04
6	5.56 एम.एम. इन्सास एल.एम.जी./ 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. एल.एम.जी. (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	05 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	04
7	रबर बुलेट फायरिंग	01 रबर बुलेट प्रति प्रशिक्षु	02
8	डमी ग्रेनेड थ्रो	01 डमी ग्रेनेड प्रति प्रशिक्षु	02
		योग	**40**

शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त एवं विभिन्न शस्त्रों से फायरिंग की विषय वस्तु

(i) 5.56 एम.एम. इन्सास

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार
2	खोलना, पुर्जो के नाम, जोड़ना
3	शिस्त लगाना
4	सफाई व रख रखाव
5	भरना व खाली करना, रूकावटें व त्वरित कार्यवाही
6	लेटकर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना
7	शिस्त लेना प्रथम – दूरी व फिगर टारगेट
8	ट्रिगर नियन्त्रण
9	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना
10	शिस्त लेना द्वितीय- साइट बदलना
11	बोल्ट चलाना

(ii) 7.62 एम.एम. एस.एल.आर.

क्र.सं.	विषय
1	परिचय
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना
3	सफाई व रख रखाव
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, शिस्त लेना, साइट निर्धारण – ले जाने की दशाएं
5	एक गोली फायर करना, रूकावटें व त्वरित कार्यवाही
6	साइट परिवर्तन, शिस्त का बिन्दु, चलते टारगेट पर शिस्त, हवा का प्रभाव

(iii) 9 एम.एम. कार्बाइन

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	कार्बाइन व स्टेन में अन्तर
3	सफाई व रख रखाव
4	भरना व खाली करना
5	ले जाने की दशाएं, शिस्त लेना – फायर पोजीशन
6	रूकावटें व त्वरित कार्यवाही

(iv) ए.के. – 47/ AKM

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	भरना व खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग
3	रूकावटें व त्वरित कार्यवाही

(v) 9 एम.एम. पिस्टल/ ग्लाक पिस्टल

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा एहतियाती उपाय, खोलना, जोड़ना
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं
3	मेकसेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना
4	रूकावटें एवं त्वरित कार्यवाही

(vi) .38” रिवाल्वर

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण, रिवाल्वर निकालना एवं वापस रखना
2	देखभाल एवं सफाई करना, भरना एवं खाली करना
3	फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना, रूकावटें व त्वरित कार्यवाही

(vii) 5.56 एम.एम. इन्सास (एल.एम.जी.)/ 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (एल.एम.जी.)(ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार
2	निरीक्षण
3	खोलना जोड़ना, हिस्से पुर्जों के नाम, साफ सफाई
4	आम जानकारी, भर पोजीशन भरना, रेडी, फायर, रोक फायर
5	एल.एम.जी. का खाली करना, मेक सेफ की कार्यवाही (हैंडलिंग)
6	फिक्स्ड लाईन और बाईपाड
7	LMG/ TsOET का समूहन/ जीरोइंग

(4) चतुर्थ समूह – जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स (रात्रि प्रशिक्षण सहित)

कालाँश – 82 **पूर्णांक - 75**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालाँश			अंक
		व्याख्यान	प्रदर्शन	योग	
1	भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	3	-	3	03
2	आड़ों के प्रकार	3	-	3	02
3	देखभाल के तरीके	2	3	5	02
4	दूरी निर्धारित करने/ अनुमान लगाने के तरीके	3	4	7	03
5	चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं	3	-	3	02
6	फील्ड संकेत	3	-	3	03
7	सैक्शन संरचना	2	2	4	03
8	विभिन्न टारगेटों की पहचान व समझ	3	-	3	03
9	सैण्ड मॉडल पर ब्रीफिंग या निर्देश	-	4	4	06
10	कैम्प स्थापित करना	3	-	3	03
11	घात एवं प्रतिघात	3	3	6	05
12	काम्बिग अभियान	3	3	6	05
13	आड़ एवं फायर	2	-	2	03
14	निगरानी	2	-	2	03
15	नक्सलवादियों द्वारा अपनाई गयी टैक्टिक्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना	3	-	3	06
16	कार्डन एवं खोज निकालना/ ढूंढना	3	-	3	05
17	रोड ब्लॉक एवं वाहनों व व्यक्तियों को चैक करना (व्यवहारिक अभ्यास)	3	3	6	06
18	कमरा/ मकान में घुसना/ हस्तक्षेप	3	3	6	05
19	मैप रीडिंग एवं जीपीएस के प्रयोग सहित नेवीगेशन	3	3	6	05
20	रात्रि संतरी के कर्तव्य व प्रदर्शन	2	2	4	02
	योग	**52**	**30**	**82**	**75**

नोट-

1. मैप रीडिंग की सिखलाई सैन्ड मॉडल से करायी जाये।
2. जो प्रशिक्षण संस्था जंगल की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ है, उनके द्वारा यह प्रशिक्षण संस्था के अन्दर ही दिया जाएगा।

रूट मार्च
नाइट विजन उपकरणों का परिचय एवं परिसर में रात्रि मार्च (प्रत्येक माह में)
05 किमी0 (राइफल सहित, देखभाल कौशल का परीक्षण, छद्म व छुपाव – प्रदर्शन)
06 किमी0 (राइफल सहित, दूरी के अनुमान व आगे बढ़ने विषयक फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स के अभ्यास सहित)
07 किमी0 (राइफल सहित, दूरी के अनुमान एवं स्मृति के आधार पर खाका बनाने का अभ्यास (रात्रि फायरिंग)
08 किमी0 (राइफल सहित, फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास, रात्रि सड़क मार्च व पैट्रोलिंग)
09 किमी0 (राइफल एवं फील्डक्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सहित - सेक्शन चांस एन्काउन्टर व कोम्बिंग)
10 किमी0 राइफल के साथ-साथ फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं युद्ध संचारण अभ्यास (बैटिल इनाक्यूलेशन एक्सरसाइज) सहित

(5). पंचम समूह – भीड़ नियन्त्रण

कालाँश – 40 **पूर्णांक – 40**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	लाठी ड्रिल	10	10
2.	अश्रु गैस	12	12
3.	दंगा नियन्त्रण	18	18
	योग	**40**	**40**

(क). लाठी ड्रिल

कालांश – 10 **पूर्णांक - 10**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	छोटी लाठी- वर्णन- सावधान, विश्राम एवं आराम से	2
2	मुड़ना एवं लाठी सहित थमने पर सजना, लाठी के साथ मार्च	1
3	थमने पर सेल्यूट- प्रस्थान का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सेल्यूट करना	1
4	लाठी के साथ सेल्यूट- थम कर स्क्वाड का विसर्जन	1
5	थमकर एवं धीमी व तेज चाल में दिशा बदलना और स्क्वाड बनाना	1
6	मार्च करना-सामने का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सेल्यूट- दाहिने व बायें का सेल्यूट	1
7	लाठी क्लास का खुलना - 1 से 4 अभ्यास एवं निकट आना	1
8	भीड़ नियन्त्रण हेतु लाठी का प्रयोग एवं सावधानियाँ	2
	योग	**10**

(ख). अश्रु गैस

कालांश – 12 **पूर्णांक - 12**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, विशेषतायें, एम्यूनीशन व रेस्पिरेटर के प्रकार	2
2	ग्रेनेड व शैलों के प्रकार, अश्रु गैस का प्रभाव	2
3	राइफल ड्रिल	1
4	ग्रेनेड फेंकने का ड्रिल एवं आवश्यक सावधानियॉ	2
5	एम्यूनीशन का फेंकना व फायर करना	3
6	रेस्पिरेटर का प्रयोग व गैस ड्रिल	2
	योग	**12**

नोटः- रिक्रूट आरक्षियों से अश्रु गैस ग्रेनेड फेकने का अभ्यास कराया जाये।

(ग). दंगा नियन्त्रण

कालांश – 18 **पूर्णांक - 18**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	दंगे का परिचय, वाटरकैनन, प्लास्टिक छर्रों, रबर बुलेट आदि कम घातक उपायों का प्रयोग। दंगा नियन्त्रण ड्रिल सम्बन्धी व्याख्यान एवं प्रदर्शन	4
2	नियन्त्रण पार्टियों की तैयारी व संरचनायें (फारमेशन्स) तथा विभिन्न संरचनाओं का प्रयोग	3
3	कार्यवाही - बायें, दाहिने, पीछे एवं चौतरफा	4
4	दंगा नियन्त्रण ड्रिल का अभ्यास	3
5	वाहन में चढ़ने व उतरने की ड्रिल	2
6	अनुरूपण (सिम्युलेशन)	2
	योग	**18**

(6) षष्टम समूह – अन आर्म्ड काम्बैट (यू.ए.सी.)

कालाँश – 30 **पूर्णांक - 40**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा	12	15
2.	सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा	12	15
3.	खाली हाथ दुश्मन पर आक्रमण	06	10
	योग	**30**	**40**

(क). खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालांश – 12 **पूर्णांक - 15**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	कलाई की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
2	लेटे हुए प्रतिरक्षा करना	1
3	बालों की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
4	गले की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
5	कालर और कन्धों की पकड़ से प्रतिरक्षा	2
6	पीछे की पकड़ से प्रतिरक्षा	2
7	पैरों की किक से प्रतिरक्षा	1
8	मुक्के के हमले से प्रतिरक्षा	1
9	कुश्ती की तरह पकड़ से प्रतिरक्षा	2
	योग	**12**

(ख). सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालांश – 12 **पूर्णांक - 15**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	स्टिक द्वारा हमले से प्रतिरक्षा	3
2	चाकू द्वारा हमले से प्रतिरक्षा	3
3	रिवाल्वर द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा	3
4	राइफल द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा	3
	योग	**12**

(ग). खाली हाथ दुश्मन पर आक्रमण

कालांश – 06 **पूर्णांक - 10**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	हाथ मिलाने वाला आक्रमण	2
2	आक्रमण करके प्रतिद्वंदी से प्रतिरक्षा	2
3	आक्रमण करके फाँस लगाना	2
	योग	**06**

(7). सप्तम समूह – योगासन

कालाँश – 30 **पूर्णांक - 30**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	सूर्य नमस्कार	10	10
2	आयुष विभाग द्वारा निर्धारित योग क्रियाएं	20	20
	योग	**30**	**30**

(8). अष्टम समूह – यातायात नियंत्रण

कालाँश – 40 **पूर्णांक - 40**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	यातायात संकेत, ड्रिल व चौराहों पर यातायात को नियन्त्रित करना	8	10
2	श्वांस विश्लेषक का प्रयोग	4	3
3	स्पीड रडार/ गन का प्रयोग	4	5
4	सड़क पंक्ति	2	2
5	यातायात साज-सज्जा एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों का परिचय	6	5
6	अग्निशमन एवं बचाव कार्य	8	5
7	एम.टी. थ्योरी	8	10
	योग	**40**	**40**

(9). नवम समूह – आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल

कालाँश – 70 **पूर्णांक - 70**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णांकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	आतंकवाद निरोधक अभियान का प्रशिक्षण	30	30
2.	डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण	20	20
3.	वन मिनट ड्रिल	20	20
	योग	**70**	**70**

(क). आतंकवाद निरोधक अभियान का प्रशिक्षण

कालांश – 30 **पूर्णांक - 30**

इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा आतंकवाद के बढ़ते हुए भय तथा वर्तमान आतंकी समूहों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। स्कूलों, शॉपिंग सेन्टरों, धार्मिक स्थलों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों आदि पर होने वाले आतंकी हमलों के सम्बन्ध में प्रशिक्षु आरक्षी को सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख). डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण

कालांश – 20 **पूर्णांक - 20**

डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण यथासंभव संस्था के अंदर अथवा आस-पास स्थित भौगौलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों व वर्तमान गिरोहों से प्रशिक्षु आरक्षी को अवगत कराया जाएगा।

(ग). वन मिनट ड्रिल

कालांश – 20 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	पी.टी. ड्रेस बदलकर यूनीफार्म पहनना	2	2
2	एक पैर पर खड़े होकर जूते बांधना	2	2
3	भूतल से प्रथम तल पर मेडिसिन बॉल पहुँचना	2	2
4	शस्त्रागार से सुरक्षित ढंग से शस्त्र निकालना व रखना	2	2
5	गाड़ी की चैकिंग करना	2	2
6	चीजों को याद रखना	2	2
7	तत्काल गाड़ाबन्दी करना	2	2
8	बिना आवाज के सूचना पहुँचाना	2	2
9	अँधेरे में मैगजीन भरना	2	2
10	अँधेरे में हेवरसेक पैक करना	2	2
	योग	**20**	**20**

(10). दशम समूह – विशिष्ट तलाशी अभियान (Special Search Operation)

कालाँश – 40 **पूर्णांक - 40**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	आवासीय भवन की तलाशी	5	6
2	कार्यालयों/ गोदामों की तलाशी	5	6
3	गाँव को कार्डन करना एवं तलाशी	5	6
4	शहरी क्षेत्र में कार्डन/ तलाशी	5	6
5	वाहन को रोकना एवं तलाशी	5	6
6	सड़क की छान-बीन एवं सड़क को यातायात के लिए चालू करना	15	10
	योग	**40**	**40**

परिशिष्ट-3

प्रशिक्षकगण का फीडबैक हेतु प्रारूप

(अ) अन्तःकक्ष के प्रशिक्षक हेतु फीडबैक

प्रशिक्षण सत्र –
कोर्स का नाम –
प्रशिक्षु नाम –
चेस्ट नं0 –
प्रशिक्षक का नाम – श्री

क्र.सं.	फीडबैक का प्रकार	अच्छा (अंक 01)	उत्तम (अंक 02)	अतिउत्तम (अंक 03)	उत्कृष्ट (अंक 04)
1	समझाने का तरीका				
2	क्या प्रशिक्षक ने सिलेबस पूरा किया				
3	क्या विस्तृत रूप से विषय को समझाया गया				
4	प्रशिक्षक का उच्चारण कैसा था				
5	टिप्पणी/ अन्य सुझाव				

(ब) बाह्य कक्ष के प्रशिक्षक हेतु फीडबैक

प्रशिक्षण सत्र –
कोर्स का नाम –
प्रशिक्षु नाम –
चेस्ट नं0 –
प्रशिक्षक का नाम/ पदनाम – श्री

क्र.सं.	फीडबैक का प्रकार	अच्छा (अंक 01)	उत्तम (अंक 02)	अतिउत्तम (अंक 03)	उत्कृष्ट (अंक 04)
1	समझाने का तरीका				
2	क्या प्रशिक्षक ने सिलेबस पूरा किया				
3	क्या विस्तृत रूप से विषय को समझाया गया				
4	प्रशिक्षक की कमाण्ड एवं कंट्रोल का स्तर				
5	टिप्पणी/अन्य सुझाव				

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ

परिशिष्ट- 4

संस्था का फीडबैक हेतु प्रारूप

“कोर्स का नाम” द्वारा दिये गये फीडबैक का विवरण											
प्रशिक्षु											
क्र.सं.	चेस्ट नं.	प्रशिक्षु का नाम	पुस्तकालय	आवासीय व्यवस्था	आनलाइन क्लास की गुणवत्ता	मेस व्यवस्था	बिजली व्यवस्था	मनोरंजन सुविधा	स्टाफ का व्यवहार	कैन्टीन व्यवस्था	औसत रेटिंग
1	-	-	3	3	3	4	5	6	7	8	4.9
सम्पूर्ण कोर्स के फीडबैक की रेटिंग											3.5

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ